परिवार

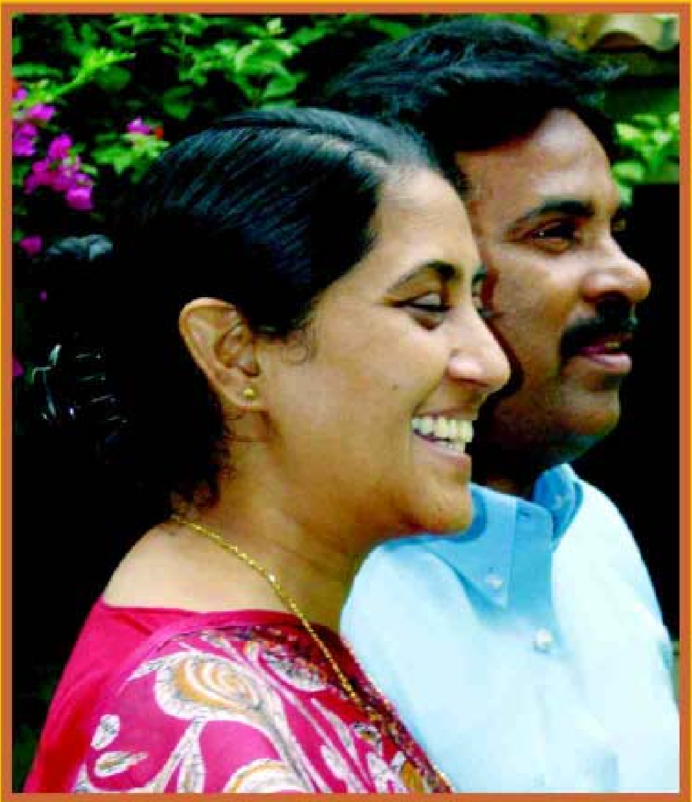

सफलता का रहस्य

लेखक

पास्टर हैरिस सुरेन्द्र सिंग

परिवार

सफलता का रहस्य

~ *लेखक* ~

पास्टर हैरिस सुरेन्द्र सिंग

© सर्वाधिकार लेखक के अधीन हैं

प्रथम संस्करण ~ 2004

2000 प्रतियाँ

गोपनीयता बनाए रखने के लिए नाम बदल दिए गए हैं। यदि किसी को ऐसा प्रतीत होता है कि यह उनका नाम है, तो ऐसा संयोगवश ही है ।

पुस्तक के किसी भी भाग का लिखित या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपयोग करने से पहले लेखक से अनुमति प्राप्त करने का कष्ट करें।

विषय – सूची

	प्रस्तावना		
	लेखक की ओर से...		
1)	परिवार की आवश्यकता क्यों ?	....	01
2)	विवाह से पहले	....	04
3)	विवाह एक वाचा है	....	09
4)	अगुवापन और आधीनता	....	14
5)	कैप्टन कौन ?	....	24
6)	छोड़ना-जुड़ना और वृद्ध लोग	....	27
7)	अपेक्षाएँ और आवश्यकताएँ	....	33
8)	विचारों का आदान-प्रदान	....	36
9)	क्रोध	....	38
10)	आर्थिक सूझ-बूझ	....	41
11)	मध्य आयु समस्या	....	44
12)	तलाक ~ समस्या का मात्र हल नहीं	....	47
13)	तलाक ~ इसे बचाया जा सकता है	....	52
14)	व्यभिचार और तलाक	....	55
15)	आनन्दित परिवार सम्भव है	....	59
16)	कुंजी ~ आशीषित परिवार की	....	61

प्रस्तावना

आठ वर्ष पहले मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर परिवारों के बीच कार्य करना आरम्भ किया था। पास्टर हैरिस सुरेन्द्र सिंग और उनकी पत्नी मीना हमारे इस कार्य में उसी समय से हमारे साथ हैं। इसलिए इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखना मेरे लिए एक सम्मान और हर्ष की बात है।

इस पुस्तक को पढ़ते समय पास्टर हैरिस सिंग के विचार और दृष्टिकोण के विभिन्न पहलुओं से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। यह पुस्तक बाईबल केन्द्रित, संस्कृति के प्रति संवेदनशील, समकालीन परिस्थिति के अनुकूल एवं व्यवहारिक है, जो उस पासबान लेखक के हृदय की विशेषता है, जो लोगों की सुरक्षा और देखभाल के लिए कटिबद्ध है। मैं इस संपूर्ण पुस्तक में परिपक्वता एवं अनुभव से अत्याधिक प्रभावित हूं।

मेरी प्रार्थना है कि यह किताब अधिक चुनौती और प्रेरणा का स्त्रोत ठहरे। इसके पुस्तक के अध्ययन के फलस्वरूप, अपने जीवन-साथी के साथ मिलकर आपको सहयोग करने का एक आधार मिलेगा। काश, भविष्य में आप एक ऐसा परिवार निर्माण कर सकें, जहां परमेश्वर और उसका वचन सर्वोपरि हो और लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए पवित्र आत्मा एक सहयोगी भी।

– हंसराज जैन

लेखक की ओर से...

एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने अपने मित्र से उसके परिवार के विषय में पूछा, ''क्यों भाई, कैसा चल रहा है, आप दोनों आनन्दित तो हैं न ?'' दूसरे व्यक्ति ने कहा, ''हां सब कुछ ठीक चल रहा है, हम लोग आनन्दित हैं, लेकिन कभी-कभी मेरी पत्नी, बर्तन फेंक कर मुझे मारती है''। पहले व्यक्ति ने कहा, ''अभी तो तुम कह रहे थे, सब ठीक है, हम लोग आनन्दित हैं और अब कह रहे हो, कि मेरी पत्नी बर्तन फेंक कर मारती है, क्या यह संभव है ?'' तुरन्त दूसरे व्यक्ति ने कहा, ''जब मेरी पत्नी का निशाना चूक जाता है, तो मैं प्रसन्न होता हूं और जब उसका निशाना नहीं चूकता है, तब वह प्रसन्न हो जाती है।''

पारिवारिक प्रसन्नता सभी चाहते हैं, किन्तु सभी उसके लिए मूल्य नहीं चुकाना मांगते हैं।

यह पुस्तक ऐसी सच्चाईयां बताती है, जिससे पारिवारिक प्रसन्नता बनायी रखी जा सकती है। किन्तु बर्तन फेंकने से नहीं - बुद्धिमानी से अपने जीवन साथी का चुनाव करने और परिवार में अपने पद को समझते हुए अपनी भूमिका को निभाने में है।

मैं अपने उन सभी मित्रों का आभारी हूं, जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए और इस पुस्तक के लेखन एवं प्रकाशन में सहायता की।

अध्याय – 1

परिवार की आवश्यकता क्यों ?

सुशील एक छात्रावास में रहकर अध्ययन कर रहा था। एक दिन उसने मुझ से कहा ''सर मैं विवाह करने गांव जाने वाला हूं।''

मैंने उससे पूछा, ''तुम विवाह क्यों करना चाहते हो ?''

सुशील ने उत्तर दिया, ''सर, गाँव में माँ अकेली है इसलिए।''

मैंने उससे पूछा, ''तुम्हारे विवाह करने से तुम्हारी माँ का अकेलापन कैसे दूर होगा ?''

''सर, मेरी पत्नी घर पर माँ के साथ रहेगी'' वह बोला।

सुशील को अपनी माँ की चिन्ता थी, इसलिए वह चाहता था कि उसके साथ कोई रहे, किन्तु क्या गाँव में माता के साथ रहने के लिए सुशील का विवाह करना और अपनी पत्नी को गाँव में रखकर स्वयं छात्रावास में रहना कुछ विचित्र सा नहीं लगता ?

एक दूसरे व्यक्ति रवि से जब विवाह करने का उद्देश्य पूछा गया तो उसने कहा, कि वह विवाह इसलिए करना चाहता है, कि उसे पका पकाया भोजन मिले क्योंकि स्वयं खाना बना-बना कर और होटल में खाकर वह थक चुका था।

प्रायः लोग परिवार की मज़बूती के रहस्य को नहीं जानते हैं। परिवार निर्माण या विवाह के कारणों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। यही हमारे सुखी परिवार की सच्ची और पक्की नींव हो सकती है।

विवाह के अभिप्राय ~

एकाकीपन (अकेलापन) को समाप्त करना

मनुष्य को मनुष्यों के साथ रहने के लिए बनाया गया है। हर प्रकार के सम्बन्धों जैसे भाई-बहन, पुत्र-माँ, मित्र, इन सभी का एक स्थान है और सीमायें भी। किन्तु पति और पत्नी का सम्बन्ध अपने आप में अनोखा है। विवाह का प्रमुख कारण है व्यक्ति : लड़की या लड़के के जीवन के एकाकीपन को दूर करना। ऐसा तब होता है जब एक-दूसरे को बिना किसी तुलना और आलोचना के साथ स्वीकार किया जाता है और एक ऐसा वातावरण घर में तैयार होता है, जहाँ एक दूसरे को अपनी भावनाएँ और इच्छाएँ प्रगट करने का अवसर प्राप्त होता है।

नैतिक मूल्यों (नैतिकता) को बनाए रखना

पाश्चात्य देशों में विवाह नामक संस्था की जिस तरह से खिल्ली उड़ायी गयी है, उसका शब्दों में विवरण करने से भी शर्म आती है। वहाँ की बात हम क्यों करें ? हमारे देश में भी यही हाल है और दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है।

28 मई, 2001 के न्यू इण्डियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट की घोषणा के अनुसार 'एक पुरुष किसी भी स्त्री के साथ रह सकता है। ऐसे कदम को अनैतिक तो कहा जा सकता है, किन्तु गैरकानूनी नहीं।'

मेरे विचार से इस प्रकार की छूट ऐसे सम्बन्धों को जन्म देगी जिससे अवैध जन्मे बच्चों, एकाकी अभिभावक, और अनाथों की संख्या बढ़ेगी।

व्यभिचार में फँसने की परीक्षा से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विवाह करना चाहिए। यौन परमेश्वर द्वारा दिया गया वरदान है, किन्तु इसकी सम्पूर्ण अभिव्यक्ति वैवाहिक दायरे की बात है, इसके बाहर की नहीं। यौन की भावनाओं और इच्छाओं की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति मनुष्य के व्यक्तित्व, परिवार और समाज के लिए हानिकारक है। कहने का मतलब यह है, कि पति-पत्नी के सम्बधों से बाहर यौन सम्बन्ध परमेश्वर की इच्छा के बाहर और पारिवारिक आनन्द एवं शान्ति के लिए हानिकारक है। किन्तु पति-पत्नी के यौन सम्बन्ध उनके जीवन में अद्वितीय परिपूर्णता

का एहसास एवं सन्तुष्टि को लाते हैं, जो सन्तुलित व्यक्तित्व के लिए सहायक है।

सन्तानोत्पत्ति और बच्चों का उचित पालन-पोषण

किसी भी पीढ़ी का आगे बढ़ते रहना मनुष्य के पास उत्पादन की क्षमता होने पर निर्भर है। हम सभी परिवार में नए जन्मे हुए बच्चे के कारण आने वाली प्रसन्नता को जानते हैं। इसीलिए पारिवारिक उल्लास बहुत कुछ सन्तान उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। सन्तानोत्पत्ति माता-पिता के जीवन में बड़ी ज़िम्मेदारी भी लाती है। बच्चों के उचित पालन-पोषण में माता-पिता की अहम् भूमिका है। जिन बच्चों को नौकरों, रिश्तेदारों या हास्टेल के सहारे पलने के लिये छोड़ दिया जाता है, उनके जीवन में कुछ बातों का अभाव रह जाता है।

परिवार एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है, जहाँ बच्चे जीवन के महत्वपूर्ण पाठ को सीखते हैं। उचित आदतों का जीवन में निर्माण कर सकते हैं। इन सभी के लिए माता-पिता की सलाह, निर्देश, प्रेम एवं ताड़ना की आवश्यकता पड़ती है।

विवाह या परिवार से बाहर जन्मे बच्चों को भावनात्मक रीति से बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। परिवार ही वह स्थान है, जहाँ वह नैतिक मूल्यों को सीखता है। माता-पिता ही उसे ''स्वस्थ सम्मान'' की भावना दे सकते हैं, जो उसके भविष्य की सफलता और कार्यकुशलता के लिए ज़िम्मेदार होती है।

परिवार निर्माण, आज के समय में हालाँकि कठिन है, किन्तु इन आवश्यकताओं कि पूर्ति का सबसे उत्तम स्थान है। क्या हमारा परिवार अपनी भूमिका निभा रहा है ?

अध्याय – 2

विवाह से पहले

ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे यहां नवजवान लड़का-लड़की या उनके माता-पिता प्रायः परिवार स्थापित करने के सिद्धान्त या आधार को नहीं जानते हैं। आज भी जब ऐसी सभाएँ या सेमिनार किए जाते हैं जो परिवार सम्बन्धित हैं, तो लोग बड़े उदासीन नज़र आते हैं।

इसलिए इस पुस्तक में कुछ ऐसी बातें है जिन्हें विवाह करने वालों को जानना आवश्यक है, ताकि वे किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयार रहें। और उन पर यह कहावत चरितार्थ न हो कि ''प्यास लगी तब कुआँ खोदने चले।''

विवाह करने वालों के लिये आवश्यक है कि वे निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दें **~**

आत्मिक
मानसिक
शारीरिक
आर्थिक
सांस्कृतिक और सामाजिक

आत्मिक ~ मनुष्य मात्र शारीरिक नहीं है, उसके पास आत्मा और प्राण भी है। वह जब अपने जीवन में परमेश्वर द्वारा पापों की क्षमा को स्वीकार करता है, और यीशु को अपने जीवन पर शासन करने का अधिकार देने

हेतु उसे आमंत्रित करता है, तब उसका आत्मिक परिवर्तन हो जाता है। कुछ लोग ऐसा निर्णय अपने जीवन के आरम्भ में, या किशोरावस्था में लेते हैं, कुछ वयस्क होने पर या वृद्धावस्था में। सुधीर ने अपनी किशोरावस्था में ऐसा ही एक फैसला किया था। जब विवाह का समय आया तब उसने सुषमा को चुना जो अपने इस अनुभव में अभी शिशु मात्र ही थी। किन्तु शारीरिक सौन्दर्य और समाज में उसके माता का धनाढ्य होना आदि अधिक महत्वपूर्ण बातें समझी गयीं। परमेश्वर की इच्छा जानने के जो सिद्धान्त हैं उनकी अवहेलना की गयी। लड़की देखने और विवाह के बीच लगभग ढाई महीने का ही समय रहा। चट मंगनी और पट ब्याह। सुधीर ने न ही शुरूवात गलत की, लेकिन उन बातों को प्रारम्भ से नहीं किया जिन्हें किया जाना था। आत्मिक जीवन के विकास का कोई अन्त नहीं है किन्तु लड़के-लड़की का बाईबल में शिष्यता के प्रति सीखने और जीवन में परिवर्तन के लिए इच्छा रखना लाभकारी होगा। एक आदर्श के रूप में यीशु आत्मिक है, जो हमारा नमूना है।

मानसिक ~ यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्योंकि पति-पत्नी आपस में अपने विचारों को प्रगट करने वाले साथी हैं, इसलिए यदि उनके मानसिक स्तर में ही एक बड़ा अन्तर रहे तो आपसी सम्बन्ध कितने दृढ़ होंगे, यह नहीं कहा जा सकता। प्रायः शिक्षा हमारा, मानसिक विकास करती है। यहां शिक्षा का अर्थ मात्र डिग्री प्राप्त कर लेने से नहीं है, किन्तु वह अध्ययन जो विश्लेषणात्मक सूझ-बूझ बढ़ाता है, हमें लोगों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने के लिए योग्य बनाता है। इसलिए पति-पत्नी जहां शैक्षणिक रीति से काफी विभिन्न स्तर पर होते हैं, वहां एक बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न होती है। एक-दूसरे से बातचीत तो होती है किन्तु जो समझने में दूरियाँ होती है, यह मानों उस तरह होती हैं कि, 'कहें खेत की सुने खलिहान की'। इसीलिए शैक्षणिक स्तर यदि समान है तो यह लाभकारी है। मैंने ऐसे परिवारों को देखा है, जहां अधिक शिक्षित व्यक्ति ने अशिक्षित किन्तु सुन्दर या धनी लड़की से विवाह किया। मानसिक परिपक्वता न होने के कारण आपसी वार्तालाप या विचारों का आदान-प्रदान गहरे स्तर का न होने के कारण पति-पत्नी में सदा एक दूरी भी बनी रही।

शारीरिक ~ आयु सम्बन्धी लोगों के अपने मत हैं। इसलिए कि पति घर में मुखिया होता है, उसकी आयु पत्नी की आयु से अधिक होना स्वस्थ समझा जाता है। पत्नी का पति से बड़ा होना कई रीति से मान्य नहीं है। प्रथम कारण यह है कि स्त्रियाँ जल्दी परिपक्वता या वृद्धावस्था की ओर बढ़ती हैं, और दोनों में एक बड़ा अन्तर देखने में आता है। यह बात पति में हीन भावना भी उत्पन्न कर सकती है। पति के भीतर नवजवान लड़कियों या स्त्रियों के साथ संगति और सम्बन्ध की तीव्रता को बढ़ा सकती है। कुछ वर्षो पहले, किसी मिशन के एक संस्थापक के साथ ऐसा ही हुआ। उन्होंने जवानी के समय अत्याधिक आयु की लड़की से विवाह किया। अपने पचासवें वर्ष के आस पास वे एक अपने से काफी कम उम्र की लड़की के साथ परीक्षा में गिर गए। सभी के लिए यह एक बड़ी पीड़ा का समय था। वैसे तो यौन सम्बन्धी परीक्षा सभी के समक्ष बनी रहती है, चाहे पत्नी की उम्र कुछ भी क्यों न हो।

शारीरिक दायरे में आयु के अलावा स्वास्थ्य की भी अत्याधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मेरा एक मित्र जिस लड़की से प्रेम करता था, उसे दमा की बीमारी थी । यह जानने के बावज़ूद भी उसने उससे विवाह किया । किन्तु ऐसे दम्पति से भी मेरी भेंट हुयी, जिनमें से एक साथी ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी ने या मेरे पति ने मुझे विवाह से पहले यह नहीं बताया, कि उसे अमुक बीमारी थी। यदि मुझे मालूम होता तो मैं उससे विवाह नहीं करता या करती।

शारीरिक स्वास्थ्य के विषय में पति-पत्नी ने पारदर्शिता बरतनी चाहिए, विशेषकर यदि बीमारी बनी हुयी है। यदि बीमारी ठीक हो चुकी है और वह एक गम्भीर बीमारी समझी जाती रही है, तो लड़के या लड़की पक्ष ने एक दूसरे से छुपाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए।

बचपन में मुझे क्षयरोग हो गया था जिसके निराकरण के लिए मुझे बहुत समय तक दवाईयां लेनी पड़ीं। किन्तु मेरा यह निर्णय था कि जिस लड़की से मैं विवाह करुंगा, मैं उसे यह बात विवाह से पहले अवश्य बताऊंगा और मैंने ऐसा किया भी।

आर्थिक ~ एक बार, एक नवजवान व्यक्ति मेरे पास आया जिसके पिता का देहान्त हो चुका था। घर का समान विभाजन सभी भाईयों और बहनों के बीच तब तक नहीं हो सकता था, जब तक कि उनकी वृद्ध माँ जीवित थी। इस बेटे के पास बहुत छोटा सा कमरा था, जिसमें वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ जीवन निर्वाह कर रहा था। उसने मुझ से कहा, ''मैं इस योग्य नहीं हूं, कि अलग से किराए पर घर लेकर रहूं।''

ऐसा कई बार देखा गया है कि नवजवान बिना आर्थिक रीति से अपने पैरों पर खड़े हुए विवाह कर लेते हैं। एक व्यक्ति से यह पूछे जाने पर कि वह आर्थिक रीति से अपनी आवश्यकताएँ कैसे पूरी करेगा, उसने यह कहा, ''मेरी माँ को सरकारी पेन्शन मिलती है, जिसके सहारे मैं अपने परिवार का खर्च चलाऊँगा।'' इससे यह ज्ञात हुआ कि वह अपनी सेवा निवृत्त माता की पेन्शन पर अपनी आस लगाए हुए था।

यह पारिवारिक प्रसन्नता के प्रतिकूल है, कि दम्पत्ति अपने माता-पिता या सास-ससुर की आय पर निर्भर हों। किसी व्यक्ति पर आर्थिक निर्भरता के कारण आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर ठेस पहुंचती है। हां, यह बात अलग है कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में कुछ योगदान देना आशीष का विषय समझता है। किन्तु यदि कोई व्यक्ति आपको देने के द्वारा आपकी स्वतंत्रता को छीनना चाहता है, तो यह आपके परिवार के भविष्य की नींव को निर्बल करता है। इसलिए यह आवश्यक है, कि लड़का-लड़की आर्थिक रीति से पहले अपने आप को दृढ़ करें, उसके बाद ही विवाह की चाहत रखें।

आर्थिक दायरे के अन्तर्गत कुछ अन्य बातें हैं, जिन्हें इस पुस्तक में 'आर्थिक सूझबूझ' नामक अध्याय में बताया गया है।

धनी लड़की और निर्धन लड़का या खचीर्ली लड़की एवं मितव्ययी लड़के का साथ आना और परिवार चलाना कठिन है। सरोज ऐसे ही घर से आयी थी जहां नौकर-चाकर काम किया करते थे। घर के बाहर निकलने पर मंहगी साड़ियों का उपयोग होता था। त्रिलोक कृषि महाविद्यालय के उप-कुलपति के पद पर कार्य करने के बावजूद, एक मितव्ययी या साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति था। विवाह के बाद सरोज को बीमार ननद और सास की सेवा करनी थी। साथ ही अब घर से बाहर निकलने

पर मोटर गाड़ियां नहीं, लेकिन मात्र दुपहिया साईकिल थी। कुछ और ऐसे कई कारणों की वजह से यह परिवार डेढ़ दो साल से अधिक न चल सका, टूट गया। दोनों में जो झगड़े, मनमुटाव और आँसू थे उनकी चर्चा करना भी कठिन है।

सांस्कृतिक और सामाजिक ~ दो अलग संस्कृतियों से आने वाले लड़के-लड़की को भाषा, खान-पान, रीति-रिवाज आदि में समझौते करने पड़ते हैं। सरोज ही को ले लीजिए, उसके घर में प्रतिदिन उपयोग की जाने वाली भाषा हिन्दी थी, जबकि त्रिलोक के यहां बोले जाने वाली भाषा फरार्टेदार अंग्रेज़ी थी। सरोज को इस घर में आने पर कितनी आत्मग्लानि हुआ करती होगी, यह तो वह ही जानती है। हालांकि मेरे पूछे जाने पर इस विषय को महत्व नहीं दिया गया, किन्तु यह एक सच्चाई थी, कि ससुराल में सुबह से शाम तक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेज़ी थी। इस परिवार के बिखर जाने में यदि यह कहा जाए, कि दूसरे अन्य कारणों के साथ-साथ भाषा का योगदान भी था, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

दो विभिन्न स्तरों या पृष्ठभूमियों के लड़के-लड़की और उनके परिवारों में भिन्नता हो सकती है। वस्तुओं को रखने, बिस्तर लगाने, खाना बनाने के तरीके में अन्तर, आपसी संबंधों में आज टकराव का कारण बन रहे हैं। यदि यह बातें हमें चिढ़चिढ़ा बना देती हैं, तो हम अपने रवैयों के संबंध में परमेश्वर की सहायता मांगे। जहां आवश्यक हो, दूसरों की प्रसन्नता के लिये अपने जीवन में परिवर्तन लाना लाभकारी हो सकता है। विवाह के बाद एक-दूसरे को, एक-दूसरे के परिवार को जैसा वह है, वैसा स्वीकार करने से ही गाड़ी आगे बढ़ सकेगी। शर्त के आधार पर एक-दूसरे को ग्रहण करना सच्चा प्रेम नहीं है।

अध्याय – 3

विवाह एक वाचा है

एक अटूट बन्धन

किसी ने कहा है कि यदि पति-पत्नी एक साथ हैं, एक दूसरे के प्रति अधिक स्नेह है, विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, सहयोग देते हैं, हंसते और खेलते हैं, तो यह एक अनोखा परिवार है और एक अपवाद भी।

ऐसे परिवार की कामना तो सभी करना चाहेंगे, किन्तु इसके पीछे दोनों को कैसी सूझबूझ रखनी चाहिए, क्या यह हम जानते हैं ? इसके लिए दोनों को ही अपने कई एक अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा, जो कि मानवीय स्वभाव नहीं चाहता।

सुरेश एक चिकित्सक था जिसका प्रेम विवाह कविता के साथ हुआ था। कुछ वर्षों बाद सुरेश की रूचि उसकी साली में बढ़ गयी और वह उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध भी रखने लगा। बहुत समय तक कविता इस अत्याचार को सहती रही। किशोरावस्था में आनेवाले उसके बच्चे भी यह सब देखकर व्याकुल हुआ करते थे। कविता को हमने यह सलाह दी कि वह सुरेश से कह दे, कि उसे किसी एक का साथ चुनना चाहिए। कविता यह कहने के लिये तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे डर था कि ऐसा करने से वह सुरेश द्वारा मिलने वाली आर्थिक सहायता से वंचित हो जाएगी।

काफी दबाव डालने के बाद कविता ने ऐसा किया और सुरेश ने कविता के बजाए उसकी बहन के साथ रहना स्वीकार किया। यह वह अवस्था (व्यभिचार) है, जिसमें पीड़ित साथी को अलग रहने का निर्णय

करना ही चाहिए। वह पीड़ित साथी जो आर्थिक रीति से अपने ऊपर निर्भर नहीं होता है बड़ी कठिनाईयों का साम्हना कर सकता है, किन्तु इस प्रकार के निर्णय का पिता (परमेश्वर) आदर करेगा और उपाय निकालेगा।

एक दूसरी अवस्था वह हो सकती है जब पति पत्नी पर अत्याचार करता है। इस अवस्था में भी अलग रहना पति की समझ को सुधारने का एक साधन हो सकता है।

उपरोक्त दोनों ही स्थिति में कुछ लोग पीड़ित साथी को सहते रहने की सलाह देते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा करना दीनता और नम्रता का प्रतीक नहीं, किन्तु पाप को बढ़ावा देना है और अस्वस्थ सम्बन्धों को पोषित करना है। इनको छोड़कर और सभी स्थितियों में साथ रहते हुए हल निकालना समझदारी हो सकती है। इसलिए असुविधा, अलग रहने या तलाक लेने के लिए एक शर्त नहीं हो सकती है। परिवार एक मात्र मंजूरी या ठेका नहीं जो कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। यह जीवन के अंत तक का समर्पण है। सुरेश और कविता को जीवन के अन्त तक अलग नहीं रहना पड़ा। लगभग 10 वर्षों के बाद उनके जीवन में एक मोड़ आया। सुरेश ने अपनी गलती को मानकर अपनी साली को छोड़ दिया और पुनः अपनी पत्नी के साथ रहने लगा।

प्राचीन काल से हम यह देखते आए हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ जब लोग एक विशेष सम्बन्ध स्थापित करते थे, तो उन्हें उसमें अपनी कुछ ज़िम्मेदारियों को ध्यान में रखना अनिवार्य होता था। साथ ही कुछ बाहरी चिन्ह भी इस सम्बन्ध के साथ जुड़े रहते थे। इस प्रकार के अटूट सम्बन्ध को इब्रानी भाषा में 'बेरिट' और यूनानी भाषा में 'डिआठेके' कहा जाता है। 'बेरिट' का अर्थ है 'बान्धना' और 'डिओठेके' का अर्थ 'क्रम में रखना'।

बाईबल में इस अटूट सम्बन्ध को 'वाचा' कहा गया है। यह परमेश्वर और मनुष्य के बीच और मनुष्य-मनुष्य के बीच हो सकती है।

परमेश्वर और मनुष्य के बीच की इस वाचा का उदाहरण हम परमेश्वर और अब्राहम के बीच देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक के पन्द्रह अध्याय और उसके सात पद से 18 पद तक हम इस विषय में पढ़ते

हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच बांधी गयी वाचा के कई एक उदाहरण हैं, उनमें से एक पहले राजा 5:12 में पायी जाती है। प्राचीन काल में कुछ संस्कृतियों में मनुष्य और मनुष्य के बीच की वाचाओं में कुछ सामान्य बातें हुआ करती थीं। जैसे पशु का बलिदान, एक दूसरे की वस्तुओं का विनिमय, शरीर के किसी भाग को काटना और रक्त को किसी प्याले में गिरने देना और बाद में उसे पीना, एक दूसरे के नाम को अपनाना आदि*। इन सभी के साथ ही इस वाचा (सम्बन्ध) में कुछ शर्ते भी निहित थीं।

दो दलों या दो व्यक्तियों के बीच या परमेश्वर और मनुष्य के बीच वाचा में 'बलिदान' का जो महत्व था, उसका विवाह के वाचा होने में एक सम्बन्ध है।

क्यों न हम इस विषय पर बाईबल में से कुछ भागों को देखें।

भजन 50:1–5

''ईश्वर परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सिय्योन से, जो परम सुन्दर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और शांत न रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी; और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर से आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा : मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, *जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझ से वाचा बान्धी है।''* इससे यह स्पष्ट है, कि जहां वाचा है वहाँ बलिदान की व्यवस्था है।

यिर्मयाह 34:18–20

''और जो लोग मेरी वाचा का उल्लंघन करते हैं और जो प्रण उन्होंने मेरे साम्हने और बछड़े को दो भाग करके उसके दोनों भागों के बीच होकर किया परन्तु उसे पूरा न किया, अर्थात् यहूदा देश और यरूशलेम नगर के हाकिम, खोजे, याजक और साधारण लोग जो बछड़े के भागों के बीच होकर गए थे, उनको मैं उनके शत्रुओं अर्थात् उनके प्राण के खोजियों के वश में कर दूंगा और उनकी लोथ आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार हो जाएंगी।''

---

* इन सभी बातों का निर्देश या अनुमोदन, जैसे मानव शरीर को काटकर रक्त एकत्र करना या पीना यहोवा परमेश्वर की ओर से नहीं था।

ऊपर पाए जाने वाले पद पशु के काटे जाने और उनके बीच में से वाचा बान्धने वालों के गुज़रने की तस्वीर पेश करते हैं। दोनों दल या पक्ष मरे हुए पशु के समान अपने आप को देखते हैं। यह दोनों पक्षों के ऐसे समर्पण को दिखाता है, जिसमें वे अपने अधिकारों को खो देते हैं और कटे हुए पशु के अंगो को देखकर उसमें अपनी मृत्यु देखते हैं।

वाचा एक ऐसे समर्पण को दिखाती है जिसे बदला नहीं जा सकता। परमेश्वर और अब्राहम के बीच बांधी गयी वाचा को हम उत्पत्ति 15:7-15 में देखते हैं।

''और उस ने उस से कहा मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कस्दियों के ऊर नगर के बाहर ले आया, कि तुझ को इस देश का अधिकार दूं। उस ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊँगा ? यहोवा ने उस से कहा, मेरे लिये तीन वर्ष की एक कलोर, और तीन वर्ष की एक बकरी, और तीन वर्ष का एक मेंढ़ा, और एक पिण्डुक और कबूतर का एक बच्चा ले। और इन सभों को लेकर, उस ने बीच से दो टुकड़े कर दिया, और टुकड़ों को आम्हने-साम्हने रखा : पर चिड़ियों को उस ने टुकड़े न किया। और जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राम को भारी नींद आई, और देखो, अत्यन्त भय और महा अन्धकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे; और वे उनको चार सौ वर्ष तक दुःख देंगे; फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दण्ड दूंगा : और उसके पश्चात् वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा; तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी।''

बलिदान पशु के दो टुकड़े किए जाने के बाद, पक्षी उन टुकड़ों पर आकर बैठने लगते हैं। उन्हें भगाने का कार्य अब्राहम स्वयं करता है। बलिदान के लाभ से व्यक्ति वंचित न रह जाए, इसलिए उसे आने वाली रुकावट को स्वयं दूर करना है। वहां पर होने वाला अंधकार जीवन में आने वाली निराशा को दिखाता है।

पद 17 में जलती मशाल, आत्मा के प्रगटीकरण का चिन्ह है। यहां इन सब बातों के होने के बाद भविष्य में एक समय आता है, जब

परमेश्वर अब्राहम से उसके पुत्र की माँग करता है। अब्राहम जानता था, कि परमेश्वर के साथ वाचा बान्धने के बाद अब उसका अधिकार किसी वस्तु पर नहीं है। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए वह तुरन्त तैयार हो जाता है।

क्योंकि वाचा परमेश्वर और अब्राहम के बीच थी, इसलिए परमेश्वर अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ता है, और सारे संसार के लिए उसे दे देता है। यह है वाचा में एक दूसरे के प्रति सर्मपण।

यदि विवाह ऐसा एक समर्पण या वाचा है, तो उसके दोनों पक्ष अपने अधिकार को खोने का ऐलान अपनी प्रतिज्ञा में करते हैं। प्रायः विवाहित पति-पत्नी न ही इस सच्चाई को समझते हैं, और न ही इसकी गम्भीरता को जान पाते हैं। इसीलिए वे अपनी समस्याओं को सुलझाने में कठिनाई पाते हैं।

पाठक, यदि आपके परिवार में पति-पत्नी के मध्य अनेक तनाव हैं, तो कृपया परखें कि क्या आप अपने अधिकार पाने की चाहत रखते हैं या अपने अधिकार को खोने के लिए तैयार रहते हैं ? आपके परिवार में खोई हुई प्रसन्नता, अपने अधिकारों के त्याग करने से आ सकती है।

अध्याय – 4

अगुवापन - आधीनता

क्या पुरुष स्त्री का मुखिया है ?

रतिका और महेश के यहां जब मैंने भेंट दी, तो कुछ अप्रसन्नता का वातावरण था। महेश बड़े जोश में आकर अपने घर के लिए अपनी पसंद का रेफ्रिजरेटर ले आया था। किन्तु रतिका को उसका रंग पसन्द नहीं था। उसे यह भी बुरा लगा कि उससे उसकी पसन्द के रंग के बारे में महेश ने कुछ बातचीत नहीं की थी। महेश ने यह सोचा था कि वह तो पत्नी का सिर (मुखिया) है, इसलिए उसे अपनी पत्नी से इस विषय पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं थी। महेश ने वचन में 'पति के सिर होने' की शिक्षा का अर्थ गलत लगा लिया था। परिणाम हुआ पारिवारिक अप्रसन्नता।

1 कुरि. 11:3 में यूनानी शब्द, पुरुष और पति के लिए एक ही है, और वह है 'आनेर'।

यूनानी शब्द, स्त्री और पत्नी के लिए भी एक ही है। जो कि 'गायने' है, इसलिए केवल प्रसंग (सन्दर्भ) ही से निश्चित किया जा सकता है, कि लेखक सामान्य रीति से स्त्री के विषय में कह रहा है या पत्नी के सम्बन्ध में।

पौलुस यह उदाहरण दे रहा है, कि जिस तरह पारिवारिक दृष्टिकोण (घरेलू दृष्टिकोण) से पुरुष (पति) पत्नी का मुखिया है, उसी तरह से आत्मिक दृष्टिकोण से कलीसिया का मुखिया मसीह है। आत्मिक दृष्टिकोण

से दोनों अपने आत्मिक मुखिया यीशु से एक आत्मा के रूप में जुड़े हुए हैं। जैसे पुरुष का आत्मिक मुखिया यीशु है, वैसे ही स्त्री का मुखिया भी यीशु है।

पार्थिव सम्बन्ध में पत्नी का स्थान पति के बाद है (मसीह की देह में नहीं)। एक अच्छे क्रम को परिवार में बनाए रखने के लिए पति को घर का मुखिया होना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि पति, पत्नी पर शासन करे, किन्तु दोनों अस्थायी और अनन्त कल्याण से सम्बन्धित बातों में एक दूसरे के सहायक हों।

क्योंकि अधिक ज़िम्मेदारी पति के ऊपर होती है इसलिए उसे अधिक अधिकार की आवश्यकता भी है। पत्नी को चाहिये, कि वह प्रसन्नतापूर्वक अपने आप को पति के आधीन करे। परमेश्वर के वचन की इस स्पष्ट शिक्षा से बचा नहीं जा सकता है।

इफि. 5:21–25

और मसीह के भय से एक दूसरे के आधीन रहो।

हे पत्नियो, अपने अपने पति के ऐसे आधीन रहो, जैसे प्रभु के।

क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है; और आप ही देह का उद्धारकर्ता है।

पर जैसे कलीसिया मसीह के आधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के आधीन रहें।

हे पतियो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिये दे दिया।

पौलुस पद-21 में पूरी कलीसिया के सम्बन्ध में कह रहा है - ''एक दूसरे के प्रति' इसका अर्थ कलीसिया में एक दूसरे के प्रति अपने अधिकारों को दे देना है। सहमत होना है और साथ-साथ चलना है। तुरन्त इसके बाद वह पत्नियों को संबोधित करता है। क्या इसका अर्थ यह है, कि पति पत्नी पर राज्य करे और सदा उसके आधीन रहे और कभी भी 'नहीं' न करे ? नहीं, ऐसी बात नहीं है।

1 कुरिन्थियों 11:3

''सो मैं चाहता हूं, कि तुम यह जान लो, कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है : और स्त्री का सिर पुरुष है : और मसीह का सिर परमेश्वर है।''

स्त्री (पत्नी) का मुखिया पुरुष है और यह भी, कि मसीह का मुखिया परमेश्वर है। इसका मतलब यह नहीं है कि मसीह परमेश्वर से कम या छोटा है, क्योंकि फिलिप्पियों 2:5-9 में हमें दोनों की समानता देखने को मिलती है। यीशु ने एक नीचा स्थान ग्रहण किया और सब बातों में पिता के आज्ञाकारी रहकर उसकी इच्छा के प्रति समर्पित रहा।

अनेकों पदों को पढ़ने से ऐसा प्रतीत हो सकता है कि स्त्री या पत्नी, पुरुष से निम्न है, और यह भी, कि उसका दासी और नौकर का सा स्थान है, किन्तु यह सच नहीं है।

अगुवापन

यूनानी शब्द 'केफाले' (Kephale) का अर्थ शासक होना नहीं है।

इसका अर्थ है - खम्भे के ऊपर का भाग

- नदी का आरम्भ का स्थान

कुछ लोग 'सिर' शब्द का उपयोग 'शरीर' को आज्ञा देने की तस्वीर के रूप में अपनाते हैं, लेकिन यह सिर और शरीर को दो अलग-अलग अस्तित्व दिखाना है। यह तस्वीर इसलिए भी गलत है क्योंकि शब्द आज्ञा पर नहीं, आधीनता पर ज़ोर है।

पति से अपेक्षा वही है जैसे एक समिति में चेयरमैन कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। इस 'अध्यक्षता' या अगुवापन में पूर्ण शासन का विचार नहीं है।

1. यह प्रेम से प्रेरित होकर अपने आप को दे देना है।
2. अगुवा निर्देश (दिशा) देकर अन्तिम निर्णय लेता है, दूसरे लोगों के दृष्टिकोण को और भलाई को ध्यान में रखकर। लेकिन लक्ष्य यह होता है, कि पूरे परिवार का कल्याण और विकास हो।
3. परिवार में निर्णय के लिए पति ज़िम्मेदार है।

प्राय : पत्नी की सलाह और प्रेरणात्मक अगुवाई को मानना पति के लिए बुरा नहीं, किन्तु पत्नी इस बात की ज़िम्मेदार है, कि वह किस प्रकार की सलाह देती है।

आदम (प्रथम मानव) भी ज़िम्मेदार था। एक प्रश्न यह उठता है कि यदि पत्नी, पति के अगुवेपन को स्वीकार नहीं करती तो क्या करना चाहिए? जैसे मसीह कलीसिया के आधीन न होने पर और आज्ञा न मानने पर साहस नहीं छोड़ता, वैसी ही पति को भी धीरज रखना चाहिये। जिस तरह से कलीसिया के विद्रोही बन जाने पर मसीह कड़वा रूख नहीं अपनाता और प्रेम करना रोक नहीं देता, उसी तरह पति को प्रेम रखना चाहिए।

अधिकार एवं आधीनता

बाईबल के अनुसार अधिकार का अर्थ है, 'सुरक्षा' एवं 'ज़िम्मेदारी', न कि 'तानाशाही'। यह सेवा की ओर ले चलती है। ख्रीस्त का सिर होना सुधि लेने को दर्शाता है, वश में करने को नहीं, उत्तरदायित्व को दिखाता है, न कि शासन को। यह असीमित नहीं है परंतु शर्त पर आधारित है। इसे स्वार्थहित में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। बाईबल सम्मत अधिकार दूसरे के अधिकार को भी ध्यान में रखता है।

यूनानी भाषा में आधीनता का अर्थ है, 'क्रम से नीचे रखना'। इसका अर्थ गुलामी नहीं है और न ही हर बात में आज्ञाकारिता।

''क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परन्तु स्त्री पुरुष से हुई है। और पुरुष स्त्री के लिये नहीं सिरजा गया, परन्तु स्त्री पुरुष के लिये सिरजी गई है।'' (1 कुरि. 11:8-9)

''तौभी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष, और न पुरुष बिना स्त्री के है। क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है, वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है; परन्तु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं।'' (1 कुरि. 11:11-12)

और उत्पत्ति 2:18 में जहां तक परमेश्वर के समक्ष पुरुष और स्त्री के स्थान की बात है, तो वह समान है।

स्त्रियाँ पुरुष से कम (नीचे) नहीं हैं, लेकिन ''परिवार में'' पत्नी का स्तर दूसरा है। 1 यूह. 3:2 - स्त्रियाँ भी परमेश्वर की सन्तान हैं। किन्तु

1 कुरि. 11 के अनुसार पति का अधिकार और उस अधिकार के प्रति सम्मान परमेश्वर द्वारा पति की सृष्टि पहले किये जाने के कारण है।

आईए, हम बाईबल में वर्णित कुछ पत्नियों के बारे में देखें, जो कि निम्नलिखित हैं

- सारा
- अबीगैल
- हन्ना

सारा ~

1 पतरस 3:5

''और पूर्वकाल में पवित्र स्त्रियां भी, जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को उसी रीति से सवांरती और *अपने अपने पति के आधीन रहती थीं।''*

1 पतरस 3:6

''जैसे *'सारा' इब्राहीम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी* : सो तुम भी यदि भलाई करो, और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उस की बेटियां ठहरोगी।''

उपरोक्त पदों का अर्थ क्या यह है, कि पुराने समय में स्त्रियां अपने विचार और मत प्रगट नहीं करती थीं ? नहीं, पतरस ऐसा नहीं कह रहा।

उत्पत्ति 16:5,6

''तब सारै ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ सो तेरे ही सिर पर हो : मैं ने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया; पर जब उस ने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी, सो यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राम ने सारै से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है : जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। सो सारै उसको दु:ख देने लगी और वह उसके साम्हने से भाग गई।'' यहाँ हम यह देखते हैं कि अब्राहम, 'सारा' पर शासन नहीं कर रहा है। वह उसको स्वतंत्रता प्रदान करता है।

उत्पत्ति 21:10-12

''सो इस कारण उस ने इब्राहीम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित बरबस निकाल दे : क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी न होगा। यह बात इब्राहीम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। तब परमेश्वर ने इब्राहीम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे; *जो बात 'सारा' तुझ से कहे, उसे मान,* क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा सो इसहाक ही से चलेगा।'' ऊपर दिए भाग में पत्नी की बात सुनने के लिए परमेश्वर कहता है। इस स्थिति में परमेश्वर 'सारा' की बात का अनुमोदन करता है और जब कभी पत्नी सही होती है, वह ऐसा ही करता है। जब पति गलत होता है, परमेश्वर पति का पक्ष नहीं लेता है। 'सारा' शान्त नहीं रही, लेकिन उसने अपने विचारों को प्रगट किया।

अबीगैल ~

1 शमूएल 25:32-34

''दाऊद ने अबीगैल से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिस ने आज के दिन मुझ से भेंट करने के लिये तुझे भेजा है !''

''और तेरा विवेक धन्य है, और तू आप भी धन्य है, कि तू ने मुझे आज के दिन खून करने और अपना पलटा आप लेने से रोक लिया है। ''

''क्योंकि सचमुच, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिस ने मुझे तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझ से भेंट करने को न आती, तो निःसन्देह बिहान को उजियाला होने तक नाबाल का कोई लड़का भी न बचता।''

वह एक बुद्धिमान पत्नी थी। उसने अपने पति की आज्ञा न मानकर एक कठिन स्थिति को सम्भाल लिया और दाऊद के पक्ष को हासिल किया। यदि उसने पति की बात सुनी होती तो बहुत रक्तपात हुआ होता। हालांकि उसने पति की बात न मानी, फिर भी प्रभु ने उसी का पक्ष लिया।

हन्ना ~

1 शमूएल 1:22–23

''परन्तु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, कि जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी, कि वह यहोवा को मुंह दिखाए, और वहां सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उस से कहा, *जो तुझे भला लगे वही कर,* जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रह; केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिये वह स्त्री वहीं घर पर रह गई और उसने अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही।''

यहां हम देखते हैं, कि हन्ना ने अपने विचारों को प्रगट किया और वैसा किया। यह परमेश्वर की भी योजना थी। उसके पति ने भी उसकी इच्छा और निर्णय का सम्मान किया।

हर बात में आज्ञा ?

यह सही तर्क नहीं है कि हर एक पत्नी को सदैव, सब बातों में अपने पति की आज्ञा माननी चाहिए। पूरी इकाई द्वारा निर्णय (फैसले) बनाए जाने चाहिये, लेकिन जब विचारों में असहमति बनी रहे, अन्तिम फैसला चेयरमैन के वोट के समान पति का होना चाहिए। बाईबल यह सिखाती है, कि पत्नी को उस समय पति की आज्ञा न मानने की छूट है जब उसका पति परमेश्वर के वचन के विरोध में कुछ करने या कहने पर मजबूर करता है। यह सिद्धांत हमें बाईबल में निर्गमन में मिलता है जहां मूसा के जन्म के समय राजा ने लड़कों के उत्पन्न होते ही दाईयों को उन्हें मार डालने की आज्ञा दी थी। हालांकि दाईयां राजा की आज्ञा मानने के प्रति समर्पित थीं, किन्तु परमेश्वर की इच्छा को तोड़ने (तू हत्या न करना) के प्रति नहीं। उन्हें छूट थी कि वे उस आज्ञा का विरोध करें, जो परमेश्वर के स्पष्ट वचन के विरूद्ध थी (निर्गमन 1:15-22)। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में (4:19-20) जब यीशु के शिष्यों को सुसमाचार प्रचार न करने की आज्ञा दी गयी, तब उन्होंने कहा कि यह उचित नहीं कि परमेश्वर की आज्ञा को त्यागकर हम मनुष्यों की आज्ञा मानें। कहने का अर्थ यह है, कि जब परमेश्वर या अधिकारी (परिवार के सन्दर्भ में

पति) की आज्ञा में संघर्ष है, तब हमें परमेश्वर की सुननी चाहिये। किन्तु जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती, पति-पत्नी को एक दूसरे की सलाह से कदम उठाना चाहिये। यह परिवार के लाभ और कल्याण के लिए है।

आधीनता का गलत अर्थ लगाया जाना

शोभा की आप बीती सुनिए ~

कुछ दिनों से हम दोनों (पति-पत्नी) बहुत झगड़ते रहते हैं। मेरे पति ने एक पिता की परिवार में भूमिका छोड़ दी है और तीनों बच्चों की ज़िम्मेदारी मुझ पर डाल दी है। रविवार को पूरे दिन वह सोते हैं, टी.वी. पर कार्यक्रम देखते हैं या बाहर खेलने चले जाते हैं। किन्तु अब एक और गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है।

उनकी रूचि उनके ऑफिस में कार्य करने वाली एक तलाकशुदा सुन्दर स्त्री में हो गयी है। पहले ऐसा लगा, कि वह उसकी सहायता करना चाह रहे हैं। लेकिन मैंने अनुभव किया, कि हमारे आपसी सम्बन्ध कमज़ोर होते जा रहे हैं। जहाँ कहीं हम जाते हैं मेरे पति उसे भी आमंत्रित करते हैं। साथ ही वह उसके घर में भी अधिक समय बिताने लगे हैं। वह कहते हैं, कि उस स्त्री के घर में ऑफिस का हिसाब-किताब करते हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता हैं। मैं दोष लगाने और कुड़कुड़ाने भी लगी हूं। परिणामस्वरूप वह यह सब और अधिक करने लगे हैं। धीरे-धीरे उनका आपस में लगाव अधिक गहरा हो गया है और मुझे समझ में नहीं आता हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ।

मैं कुछ समय पहले एक किताब लायी थी। इस पुस्तक के लेखक ने यह लिखा है, कि यदि मैं ऐसी स्थिति में पति की आज्ञा मानूंगी, तो मेरी आधीनता के कारण प्रभु मेरे जीवन में कुछ ऐसा नहीं होने देगा, जो मेरे हित में नहीं है। मेरी अपनी परेशानी में मुझे लगा, कि मेरा पति मुझे छोड़ देगा। इस डर से मैं अपने घर के सोने के कमरे में भी उस स्त्री को आने देने लगी हूं। मुझे ऐसा लगा, कि ऐसा करने से मेरा पति मुझ से अधिक प्रेम करेगा, लेकिन इससे तो वह और अधिक उस की ओर झुकता जा रहा हैं।

अब वह पूर्णतया उलझन में है, कि वह दोनों में से किस को चाहता है। वह मुझे खोना नहीं चाहता और कहता है कि वह मुझ से और बच्चों से प्यार करता है, लेकिन वह उसको भी नहीं छोड़ सकता। मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ और मैंने उससे भीख भी मांगी, कि अपनी समस्या को परमेश्वर के हाथ सौंप दे। मुझे उस स्त्री से भी प्यार है और उसके दुःख का एहसास भी। लेकिन वह नहीं जानती है कि प्रभु इस बुरे काम को दण्डित करेगा। मैं अपने मन में भयंकर घृणा और कष्ट को महसूस करती हूँ। लेकिन अब मैं क्या करूँ? मेरी सहायता करें।

पाठक,

1. क्या ऐसी स्थिति आपने देखी है ?
   यदि हाँ, तो आप पीड़ित पत्नी को क्या सलाह देंगे ?
2. आपके विचार से क्या पत्नी ने इस समस्या का उचित रीति से साम्हना किया ?
3. अपने परिवार को बचाने के लिए क्या आप तीसरे व्यक्ति को अपने घर में इतनी छूट देंगे ? पत्नी सोचती थी कि यदि वह अपने पति की सब कुछ नहीं सहेगी, तो पति शायद उसे छोड़ देगा। क्या बाईबल नहीं कहती कि प्रेम सब कुछ सह लेता है 1 कुरि. 13:4-5 ?
4. क्या पत्नी एक 'चमत्कार की अपेक्षा करते हुए अपने पति को खुश न करती रहे ?
5. क्या आप उसके इस तरीके को समर्थन देंगे ?
   या उसे तलाक लेने की सलाह देंगे ?
   क्या–क्या पर्याय (मार्ग) हैं या आप उसे क्या सुझाव देंगे ?

यहाँ हमें कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है :

1. उसका सहते रहना परिवार के लिए घातक है। उसके परामर्शदाता ने (अपनी पुस्तक में) परमेश्वर के वचन में आधीनता का गलत अर्थ लगाया था।
2. इस पत्नी ने कई एक गलतियाँ की थीं ~
   * तलाकशुदा स्त्री से खतरे के बारे में सतर्कता नहीं बरती। कोई भी व्यक्ति आवश्यकता में पड़ी उपलब्ध स्त्री का शिकार बन सकता है।

* उस पुस्तक में दी गई गलत शिक्षा का पालन किया।
* उस स्त्री को अपने शयनकक्ष में अनुमति दी।
* पति से यह नहीं कहा, कि वह उन दोनों में से किसी एक के साथ ही रहे। (पाठक, कृपया 'तलाकःसमस्या का हल नहीं' नामक अध्याय देखें)

अध्याय – 5

कैप्टन कौन ?

वर्तमान में नव जवानों का झुकाव प्रेम विवाह का है, अतएव लड़का और लड़की प्रायः अपने आप को मित्र के रूप में अधिक देखते हैं। परिणामस्वरूप, बाईबल सम्मत आधार, कि पति परिवार नामक संस्था का कप्तान है, अभाव रहता है। यदि परिवार में पति की कप्तान की सी भूमिका को पत्नी परमेश्वर की ओर से समझ ले, तो काफी सीमा तक तनाव कम किया जा सकता है।

पति को दिया गया अधिकार स्वयं प्राप्त किया हुआ नहीं है। यह परमेश्वर द्वारा दिया गया है और इसे न समझने और इसके अनुसार न करने से हम अपनी हानि तो करते हैं, साथ ही अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक त्रुटिपूर्ण नमूना छोड़ देते हैं।

पति का अधिकारी होना, नेतृत्व करना, शायद बहुत सी पत्नियों को अच्छा न लगे, लेकिन यह ही उनके और उनके बच्चों के लिए लाभकारी है। जो लड़कियाँ पति की इस भूमिका से सहमत नहीं है, उन्हें विवाह नहीं करना चाहिए। लड़की का अधिक शिक्षित होना या अधिक कमाना उसे परिवार का मुखिया बनने की छूट नहीं देता है। न ही पति की कमजोरियाँ इस बात के लिए उसे छूट देती हैं कि वह (पत्नी) घर का पूर्ण रूप से नेतृत्व अपने हाथों में ले ले। निःसन्देह पति की गैर ज़िम्मेदारी का रवैया उसे मजबूर कर सकता है, कि वह महत्वपूर्ण निर्णयों

को स्वयं ले। साथ ही पति का मुखिया होने का अर्थ यह नहीं है, कि वह मनमानी करे, पत्नी की भावनाओं और इच्छाओं को कुचलता रहे।

बाईबल के अनुसार अधिकारी होने का अर्थ जिम्मेदारी है, तानाशाही नहीं। चौथे अध्याय में रतिका और महेश के सम्बन्ध में मैंने आपको बताया था। हमारी वार्तालाप के दौरान महेश ने यह कहा कि वह घर का नेतृत्व करने वाला सदस्य है। अपनी इच्छा के अनुसार उसने रेफ्रिजरेटर के रंग का चुनाव किया और घर ले आया। रतिका को इस बात का दुःख हुआ था कि इतनी महत्वपूर्ण वस्तु घर के लिए लेते समय उसकी इच्छा और उसकी पसन्द के रंग के रेफ्रिजरेटर को लाने की आवश्यकता महेश ने नहीं समझी। पति-पत्नी जब अपनी इच्छा को मनवाने का प्रयत्न करते हैं, तो पारिवारिक प्रसन्नता नाश होती है। महेश को रतिका की भावनाओं का आदर करना था, उसकी पसन्द की वस्तु लाने में उसने अपनी प्रसन्नता ढूंढनी थी। उसकी पसन्द की वस्तु लेने से महेश अपने मुखियापन को खोने वाला नहीं था, न ही वह बात यह दिखाती कि वह अपनी पत्नी का गुलाम है। ''हर एक अपनी नहीं, किन्तु दूसरे के हित की भी चिन्ता करे।''* परिवार में हम एक दूसरे को कैसे प्रसन्न करें, यदि यह भावना पति और पत्नी के मन में समा जाए, तो दोनों एक दूसरे को कुढ़ने से बचा सकते हैं, जो आज बहुत से रोगों का भी कारण है।

निर्णय में साझेदारी

पति को परमेश्वर द्वारा अधिकार मिल जाने का अर्थ यह नहीं है, कि वह जो चाहे कर सकता है। यदि उसकी ऐसी समझ है तो उसे भी कभी विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह के पश्चात ''मैं'' के स्थान पर ''हम'' अधिक उपयुक्त होता है। प्रत्येक गम्भीर निर्णय में जो परिवार से सम्बन्धित है, पत्नी की सलाह लेना, उसके विचारों का आदर करना है। अत्याधिक महत्वपूर्ण निर्णयों में अधिक अनुभवों वाले और परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों की सलाह या बुज़ुर्ग लोगों से परामर्श लेने में कोई हानि नहीं है। बाईबल या परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, यह हमारे निर्णयों का आधार है। इन सभी आयामों को ध्यान में रखकर पवित्रता के

---

* फिलिप्पियों 2:4

निर्देश में पति-पत्नी के साझेदारी के निर्णय में अन्तिम ज़िम्मेदारी पति की है। पत्नी शायद पूरी रीति से सहमत न भी हो किन्तु उसे यह समझना है कि परमेश्वर ने पति को यह अधिकार दिया है। पति के निर्णय को मंजूर करना और प्रयास करना कि वह सफल हो, परमेश्वर का आदर करना है। पत्नी की इच्छा पूरी न होने पर इसे मानहानि नहीं समझी जानी चाहिए बल्कि यह समझना चाहिए कि परिवार की भलाई इसी में है। डैरेक प्रिन्स् अपनी पुस्तक 'मैरिज कवैनेन्ट' (विवाह की वाचा) में एक महत्वपूर्ण बात पर प्रकाश डालते हैं - वह है पत्नी की आय का पति की आय से अधिक होना एवं इसका परिवार पर प्रभाव, यानि कि पति का ''प्रभावकारी नेतृत्व को बनाये रखने में कठिनाई का अनुभव करना।''* प्रायः मसीही परिवारों में पत्नियाँ जहाँ, अधिक कमाती हैं, वहां वे अपनी बात को मनवाने पर अधिक ज़ोर डालती हैं। इससे उन्हें तो अच्छा लगता है, किन्तु पति इसे अपमानजनक बात समझता है। हमें इस समस्या का कारण लड़कियों की ऊँची शिक्षा और लड़कों की निम्न शिक्षा दिखाई देती है। इसे सुधारने के लिए बच्चों के अनुशासन के लिए माता-पिता ने एक मत होकर व्यवहारिक कदम उठाने चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी में पति, पत्नी से अधिक कमाने की स्थिति में हो सके या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि पत्नी को नौकरी करने की आवश्यकता ही न हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि, लड़कियों को इस योग्य न बनाया जाए कि वे अपने पैरों पर खड़ी हों या अधिक कमा सकें। मेरे विचार से परमेश्वर से प्रेम रखने वाली पत्नी परिवार में अपने पति के अधिकार का सम्मान करेगी।

---

* पृष्ठ 61 'मैरिज कवैनेन्ट' डैरेक प्रिन्स

अध्याय – 6

छोड़ना – जुड़ना और वृद्ध लोग

वृद्ध लोगों की देखरेख की प्रवृत्ति मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। किन्तु हमारे शहरों में यह भावना दिनों दिन समाप्त होती जा रही है। होना तो यह चाहिए कि बुज़ुर्ग लोग अपना बचा हुआ समय अपने बच्चों और नाती-पोतों के साथ आनन्द से बिताएँ। किन्तु प्रायः उनकी कोई दुर्बलता या स्वभाव उन्हें परिवार से दूर रहने पर मजबूर करता है।

हमें अपने बुज़ुर्ग माता-पिता की सेवा का नमूना अपने बच्चों के सामने छोड़ना चाहिए, किन्तु कृतज्ञता के रूप में अपने बच्चों से सेवा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, न ही उनसे अपने जन्म दिवस और विवाह की वर्षगाँठ पर उपहार की। आईए, बाईबल में एक वचन पर ध्यान दें, वह है – उत्पत्ति 2:24

''इस कारण पुरुष अपने माता-पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे।

मत्ती 19:5

''कि इस कारण मनुष्य अपने माता-पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे ?

इफि. 5:31

''इस कारण मनुष्य माता-पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे।''

आज लोगों के इस विषय पर अलग-अलग मत हैं। आदर्श स्थिति तो वह है, जहाँ परिवार में सभी (वृद्ध, जवान, बच्चे) लोग रहते हैं। किन्तु इस आदर्श स्थिति को एक सत्य के रूप में देखने के लिए हर एक को कीमत चुकानी पड़ेगी। इस कीमत का ख्याल न करते हुये बहुत से परिवार बुज़ुर्ग लोगों के साथ जीवन आरम्भ करते हैं। अन्त में गलतफ़हमी, कड़वाहट और झगड़ों के साथ दम्पत्ति अपने वृद्ध माता-पिता से अलग हो जाते हैं।

क्या इस समस्या का कोई उपाय है ?

मेरे अनुभव और विचार से माता-पिता को, विवाह से पहले समझना चाहिए, कि विवाह के पश्चात् परिवार में प्रत्येक का स्थान और भूमिका क्या होगी। सच पूछें तो माता-पिता ने इसमें पहल करनी चाहिए, किन्तु या तो वे इस सच्चाई से अनजान रहते हैं, या इसे स्वीकार नहीं करते।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि बच्चों का यह कर्तव्य है कि वे माता-पिता को आदर और आज्ञाकारिता दें, किन्तु विवाह के बाद दोनों (लड़के और लड़की) को आदर और सम्मान बनाए रखकर, आज्ञाकारिता के बन्धन से मुक्त होना चाहिए। क्योंकि बुज़ुर्ग माता-पिता अनुभवी और आयु में अधिक होते हैं और अपने बच्चों को गलती करने से बचाना चाहते हैं, इसलिए वे विवाह के पश्चात् भी उन्हें उसी तरीके से सलाह मशविरा देना चाहते हैं। हालांकि, दम्पत्ति को आवश्यकता पड़ने पर उनसे सलाह लेनी भी चाहिए, किन्तु बुज़ुर्ग लोगों को यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि सब कार्य उनसे पूछ कर किया जाए।

अपनी सेवकाई के आरम्भ में ही मैंने एक कलीसिया में परिवार के सम्बन्ध में शिक्षा दी, कि वृद्ध माता-पिता को अपने लड़के और बहू के साथ यदि शान्ति से रहना है, तो उन्हें बच्चों को स्वतंत्र कर स्वयं भी निश्ंचित रहना चाहिये। यह सुनकर एक जवान लड़की ने मेरा बहुत विरोध किया। उसे ऐसा लगा कि मैं बुज़ुर्ग माता-पिता का अनादर करना सिखा रहा हूं। कुछ समय बाद उसके भाई का विवाह हुआ और वह परिवार दो वर्षो में टूट गया। वह पूरा परिवार, परिवार को टूटने से बचाए जाने के सम्बन्ध में व्यवहारिक शिक्षा को अपनाने के लिए सहमत न था।

मेरे एक मित्र के विवाह के बाद उसके पिता घर के अगुवा और उसकी मां घर की मालकिन बनी रहीं। उसकी पत्नी के लिए जब सहने से बाहर हो गया, उन दोनों को अलग घर लेकर रहना ही पड़ा। समस्या यह नहीं कि कौन गलत था और कौन सही। माता-पिता जिस घर में रहते रहते 30, 40 वर्ष बिता चुकते हैं, वहाँ पर उन्हीं का राज्य होता है। उन्हीं के अनुसार सब कुछ होता है। एक नवदम्पति की अपनी इच्छा, आकांक्षा, जीने की शैली, कार्य करने का तरीका अलग होता है, इसलिए बुज़ुर्ग सास ससुर को बहुत सी बातें पसन्द नहीं आतीं।

अधिकांश माता-पिता अपने बच्चों से इतना अधिक भावनात्मक रीति से जुड़े रहते हैं, कि नवदम्पत्ति का विकास जहां तक व्यक्तित्व का सवाल है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। वे मानसिक रीति से अपने आप को बुज़ुर्गों द्वारा सताया हुआ समझने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपने हर निर्णय लेने में बुज़ुर्ग माता-पिता बाधा डालते हैं। नवदम्पति को विवाह के पश्चात् जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलती।

लड़के को विवाह तब करना चाहिए जब वह आर्थिक रीति से दृढ़ हो। दूसरी बात यह कि विवाह से पहले उसके पास अपना या किराए का मकान होना चाहिए, जहां वह विवाह के बाद पत्नी सहित रहे। तीसरी बात यह कि जब माता-पिता आवश्यकता में होते हैं (शारीरिक या आर्थिक रीति से) तब उन की सेवा और सहायता की जाए। यदि वे अत्याधिक निर्बल हैं, तो उन्हें अपने घर लाकर भी उनकी सेवा की जा सकती है।

बाईबल में माता-पिता का आदर करने की आज्ञा है। माता-पिता को उनके बुढ़ापे में सम्भालना उनका आदर करना है। यदि माता-पिता का अपना बड़ा घर है तो वे बेटे बहू के किराए के छोटे घर में रहना न चाहेंगे। यदि वृद्ध माता-पिता बेटे-बहू को अपने घर में रहने के लिए बुलाते हैं, तब पद स्थिति और भूमिका वाली बातों पर विचार विमर्श खुले रूप में होना चाहिए, तभी बेटे-बहू को उनके साथ रहना चाहिए। आर्थिक कारणों से प्रायः ऐसा संभव नहीं होता है, कि नवदम्पत्ति तुरंत एक नया घर लें या किराया देकर रहें और न हीं माता-पिता ऐसा चाहते हैं। आजकल कुछ माता-पिता एक ही इमारत में अपने बेटों या बेटियों के

लिए अलग-अलग रहने की व्यवस्था कर देते हैं। और प्रत्येक के पास अपना रसोई घर होता है। यदि इस मार्ग को अपनाये जाने से नवदम्पति और वृद्ध लोगों के बीच अच्छे संबंध बनाये रखने के साथ-साथ परस्पर सहयोग एवं वृद्ध लोगों की देखरेख संभव है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं।

वृद्ध माता-पिता को इस बात का अभ्यास करना चाहिए, कि वे टीका-टिप्पणी बेटे बहू पर न करें। उनको फैसले लेने दें। उन पर अपनी इच्छा और आज्ञा को न थोपें। दम्पत्ति के आर्थिक रीति से मजबूत न होने पर जहां बुज़ुर्ग लोग उनकी सहायता करते हैं, वहां वे हस्तक्षेप करना अपना अधिकार समझते हैं।

वे यह भी चाहते हैं कि बहू और बेटा उनकी मानें। बेटे और मां का घनिष्ट सम्बन्ध बहू और बेटे के सम्बन्धों में मजबूती लाने में रूकावट बन जाता है। नव-दम्पत्ति के निर्णयों में बुज़ुर्ग लोगों का हस्तक्षेप पीड़ा दायक बन जाता है। हालांकि नव वधू बहुत कुछ नए घर में सीख सकती है, किन्तु इसके लिए नम्रता और दीनता का दाम चुकाए जाने की आवश्यकता होती है, जिसका अभाव आजकल की पत्नियों में पाया जाता है।

ठीक इसी प्रकार से यह आवश्यक है कि विवाह के पश्चात लड़की *अपने* माता-पिता को आदर सम्मान दे, किन्तु उनकी आधीनता के दायरे से बाहर आ जाए। वह पत्नी अपने पति का आदर करती है, जो *अपने* माता-पिता की नहीं किन्तु अपने पति की बात को सर्वप्रथम स्थान देती है।

इस प्रकार हम देखते हैं, कि परिवार में विवाह के बाद सदस्यों के पद और भूमिका में परिवर्तन आता है। यदि इसे ध्यान में रखकर जीएँ तो बहुत सी पीड़ा और गलतफहमी से बचा जा सकता है।

बुज़ुर्ग माता-पिता जिस घर में अपने बेटे-बहू के साथ रहते हैं, अवश्य है, कि वे उन्हें निर्णय लेने का उत्तरदायित्व दें, उन्हें गलती करके सीखने दें। किन्तु जिस परिवार में ससुर जी घर के मुखिया पद को नहीं छोड़ते और सास जी रसोईघर के संबंध में हस्तक्षेप करना नहीं छोड़तीं वहां शान्ति कायम रखना असम्भव तो नहीं, कठिन अवश्य है।

मैंने पहले कहा है कि बाईबल के अनुसार माता-पिता को छोड़ने और पत्नी से मिले रहने के अर्थ अलग-अलग लगाए जाते हैं। मेरे विचार से यह अलग होना सर्वप्रथम भावनात्मक है, जिसे माता-पिता तमाम प्रकार

के डरों के कारण सहन नहीं कर पाते हैं। वे बच्चों के वयस्क हो जाने पर भी उन पर नियन्त्रण रखना चाहते हैं।

माता-पिता बच्चों के विवाह के बाद समझते हैं, कि अब उनकी आवश्यकता कम हो गयी है। पहले से उन्हें इन भावनाओं के आने के सम्बन्ध में तैयार रहना है। बचपन से माता-पिता पर निर्भरता के कारण कुछ नव जवान लड़के-लड़की निर्णय लेना और उसकी जिम्मेदारी लेना नहीं सीखते और विवाह के बाद भी इसी को दोहराते हैं।

कुछ माता-पिता मानसिक रीति से अपरिपक्व हैं और स्वयं में सुरक्षित महसूस नहीं करते। अपनी मानसिक सुरक्षा की भावना को बनाए रखने के लिए बच्चों पर निर्भर करते हैं या अपने नाती-पोतों पर।

सम्बन्धों को टूटने से बचाने के लिए पति-पत्नी (बेटे-बहू) की ज़िम्मेदारी

1. उन्हें समझने का प्रयत्न
2. अपने माता-पिता से अपने सास-ससुर की तुलना नहीं।
3. उनकी आलोचना किसी भी परिस्थिति में न हो।
4. अपने माता-पिता और अन्य प्रियजनों से उनके संबंध में नकारात्मक विचार व्यक्त न करें।
5. अपने सास-ससुर या माता-पिता को मुख्य निर्णय लेते समय सम्मिलित अवश्य करें, किन्तु आपसी निर्णय को प्रथम स्थान दें।
6. यदि माता-पिता या सास-ससुर की आर्थिक सहायता करनी है तो यह पति-पत्नी की सलाह से होना चाहिए।
7. हर परिस्थिति में माता-पिता से मिलते रहें, क्योंकि बाईबल हमें आज्ञा देती है कि 'माता-पिता का आदर कर'।
8. परिवार के रीति रिवाज़ों की एक सीमा तय करें। ऐसा न करने से मसीह परिवार की विशेषता और गवाही में कमी आ सकती है या अभाव हो सकता है।

सास की ज़िम्मेदारी

1. बहू के किसी भी कार्य की आलोचना किए बिना, सास उसे स्वीकार करे।
2. मित्र, और सहायक हो।
3. विचारशील, दयालु, समझदार एवं उदार हो (रूत 2:18-22; 3:1–4)
4. सास अपनी प्रसन्नता और आनन्द के लिए मात्र अपने बेटे और उसके परिवार से अपेक्षा के बजाए, अपनी जीवन शैली में दूसरी अन्य आनन्द प्रदान करने वाली और परिपूर्णता लाने वाली क्रियाओं को सम्मिलित करे।
5. बहू पर भरोसा हो और अपनत्व की भावना से अपनी समस्याओं को बांट ले /व्यक्त करे।
6. आवश्यकता पड़ने पर नम्रतापूर्वक सहायता स्वीकार करे एवं सहायक हो।
7. पर्याप्त अनुभव होने पर भी सास यह न प्रकट करे कि बहू अज्ञानी है।
8. यह ध्यान रहे कि अपने बेटे की खुशी चाहने वाले माता-पिता का कर्तव्य है, कि उस बेटे की पत्नी को भी अपनाएं और उसे खुश रखें।
9. अपनी बेटी से बहू की तुलना एवं देवरानी जिठानी की आपसी तुलना न करे, इसका कारण यह है कि हर व्यक्ति में भिन्न-भिन्न अच्छे गुण पाये जाते हैं और उन्हें स्वीकार करना आवश्यक है।
10. विवाह के पश्चात् बेटे की भूमिका में परिवर्तन होता है एवं उसके जीवन में अब माता-पिता का नहीं, किंतु पत्नी का प्रथम स्थान होगा। इस भूमिका पर बिना हस्तक्षेप किये हर मां उसे प्रोत्साहन दे। इसमें समस्त परिवार की शांति है और बेटे के परिवार का उत्थान भी है।

अध्याय – 7

अपेक्षाएँ और आवश्यकताएँ

एक बड़ी विचित्र बात यह है, कि कुछ दम्पत्ति इस विषय से अनजान रहते हैं, कि पति और पत्नी की जो एक दूसरे से अपेक्षाएँ* हैं, उन्हें जानने की आवश्यकता है। हमारी कुछ अपेक्षाएँ पूरी हो सकती हैं और कुछ नहीं।

मधु और सुरेश अपने वैवाहिक जीवन में आए दिन समस्याओं को झेल रहे थे। मेरे चर्च के सदस्य होने के नाते वे समस्याओं को सुलझाने के लिए मेरी सहायता की अपेक्षा कर रहे थे। एक बार जब मैंने उन दोनों से एक दूसरे से जो अपेक्षाएँ हैं, उन्हें लिखने के लिए कहा, तो मधु ने तो एक बड़ी लिस्ट बना डाली, किन्तु सुरेश ने न बनायी और कहा, 'मेरी कोई अपेक्षा नहीं है।' यह निराशा का प्रत्युत्तर था। उसने यह भी कहा कि लिखने से कोई लाभ नहीं। पति पत्नी यदि सलाहकार के साथ सहयोग न करें, तो उनकी सहायता कभी नहीं की जा सकती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक दूसरे से अपेक्षाएँ न हों। इसलिए यदि परिवार में शान्ति, सुख और स्वास्थ्य स्थापित करना है, तो अवश्य है कि पति पत्नी आपस में एक दूसरे के साथ अपेक्षाओं के सम्बन्ध में चर्चा करें। यह विवाह के प्रारम्भ के वर्षो में अधिक आवश्यक है, किन्तु यदि बाद में भी किया जाए तो लाभदायक है। किन्तु, पति-पत्नी अपने कार्य एवं

---

* वे शब्द, रवैये, वस्तुएं या कार्य जो हम एक-दूसरे से चाहते है।

जिम्मेदारियों को निभाने आदि में इतने व्यस्त हो जाते हैं, कि इस विषय पर चर्चा करना आवश्यक है, यह कोई सोचता ही नहीं।

अपेक्षाएँ न्यायोचित भी हो सकती हैं और ऐसी भी जो पूरी नहीं की जा सकती हैं। यदि उन्हें पूरा करना कठिन भी लगे तो यह जानने का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों है ? या इसके लिए क्या पर्याय (दूसरा रास्ता) है।

कुछ समय पहले हैदराबाद, आन्ध्रप्रदेश के एक पारिवारिक परामर्शदाता ने मुझे बताया कि, उनके पास आने वाली अधिक संख्या में पीड़ित वे पत्नियां हैं, जिनकी शिकायत है कि उनके पति उनकी यौन इच्छाओं की पूर्ति में दिलचस्पी* नहीं लेते हैं। किन्तु इसके विपरीत एक दूसरी स्थिति भी है। एक दिन श्रीकान्त नामक एक व्यक्ति ने मेरे एक पासबान मित्र के पास आकर कहा, ''मेरी पत्नी का कहना है कि अब बच्चे जवान हो गये हैं। उनके विवाह भी हो गये हैं, इसलिये हमें अब यौन संबंध की क्या आवश्यकता है ?'' आश्चर्य नहीं कि एक सर्वेक्षण के अनुसार तीस प्रतिशत पुरूष पत्नियों में सेक्स के लिये उत्साह नहीं पाते हैं।*[1]

एक सर्वेक्षण करते समय, डॉ. हार्ले ने अपने एक अध्ययन के दौरान 1500 लोगों को एक प्रश्नावली दी। उनके इस अध्ययन का सारांश यह था, कि एक पुरूष की पांच सर्वाधिक महत्व की आवश्यकताओं में पहली यौन सम्बन्ध है। स्मरण रहे कि बच्चे जवान और शादी शुदा होने के बाद उनके माता-पिता की यौन इच्छाएँ समाप्त नहीं हो जाती हैं।

पति-पत्नी में यौन के सम्बन्ध में बहुत अज्ञानता पायी जाती है। आश्चर्य और खेद की बात है, कि कुछ लोग तो इस विषय पर सीखना नहीं चाहते और न ही सलाह लेना चाहते हैं। इसका परिणाम होता है पारिवारिक अशान्ति और कलह। आत्मिक उन्माद से भरे लोग प्रायः उपरोक्त विचारों से अधिक ग्रसित होते हैं और वे अपनी ज़िद्द में न जाने अपने परिवार की हानि किस सीमा तक कर डालते हैं।

---

* चिकित्सा विज्ञान यह बताता है कि बहुत से कारणों के साथ–साथ भावनात्मक और शारीरिक कारण भी इसके जिम्मेदार हो सकते हैं। कुछ बीमारियों के लिए सेवन की जाने वाली औषधियां भी यौन रूचि में रूकावट बन सकती हैं।

*[1] पृष्ठ 39, इंडिया टुडे, 20 सितम्बर 2004

अपेक्षाएं मात्र यौन से सम्बन्धित नहीं हैं किन्तु और बहुत से क्षेत्रों में हो सकती हैं। पति, पत्नी को पारस्परिक अपेक्षाओं के सम्बन्ध में जानकारी रखनी चाहिए।

यदि यह पुस्तक पति और पत्नी एक साथ पढ़ रहे हैं, तो एक अभ्यास करें। व्यक्तिगत रीति से अपने जीवन साथी से जो अपेक्षाएं हैं, उनकी सूची बनाईये। बाद में दोनों मिलकर प्रत्येक अपेक्षा पर चर्चा करें। यदि किसी सलाहकार या पास्टर की आवश्यकता पड़े तो उसे भी सम्मिलित करें।

अपेक्षाएं तीन प्रकार की हो सकती हैं।

1. जिन्हें पूरा किया जा सकता है।
2. जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता है।
3. जिन्हें कुछ सीमा तक पूरा किया जा सकता है।

अपेक्षाओं के पूरा न होने पर चिड़चिड़ापन, क्रोध और निराशा जैसी भावनाओं का साम्हना करना पड़ता है।

अपेक्षाओं के पूरा न होने के कारण आनेवाली और अन्य जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए यह आवश्यक है, कि प्रसन्नता प्राप्त करने के अन्य तरीकों-मनोरंजन, खेल, आदि के लिए हमारे पास समय हो। साथ ही अपने जीवन साथी में पाए जानेवाले अच्छे गुणों पर प्रायः ध्यान दिया जाना सहायक होता है। प्रातःकालीन, परमेश्वर के साथ बिताए जाने वाले समय में हम अपने आप को प्रोत्साहन देनेवाली बातों पर अवश्य मनन करें, उदाहरण के लिए पिता की दृष्टि में हमारा स्थान, मसीह में हमारी आशीष, प्रभु के अद्‌भुत कार्य।

हमारे जीवन में परिपक्वता आने के साथ हम यह जान जाते हैं, कि हमारे शरीर की इच्छाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का सदा पूरा होना हमारी प्रसन्नता का कारण नहीं बनना चाहिए। देह की इच्छाओं को मारना हमारी उलझन को काफी सीमा तक दूर कर सकता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सिद्धता की कामना लाभकारी और स्वस्थ नहीं है। पाप के कारण उत्पन्न मनुष्य की विवशता और निर्बलता के साथ कुछ सीमा तक हमें जीना ही है।

अध्याय – 8

विचारों का आदान-प्रदान

एक विख्यात परिवार परामर्शदाता के अनुसार दिए गए तलाक के प्रमुख कारणों में दूसरा प्रमुख कारण है, विचारों के आदान-प्रदान में स्वतंत्रता का न होना या कमी होना।

विचारों के आदान प्रदान के कई एक स्तर भी होते हैं। सबसे गहरा आदान-प्रदान वह है जहां व्यक्ति अपने भीतरी विचारों, आकांक्षाओं, इच्छाओं, संघर्षों और चिन्ताओं को भावनाओं के साथ बाँटता है। मात्र सूचनाओं और जानकारियों का बाँटना एक परिवार में पति-पत्नी के लिए काफी नहीं है। किन्तु सबसे ऊँचे स्तर के आदान-प्रदान के लिए एक दूसरे की सुने जाने की आवश्यकता है और वह भी बिना टीका टिप्पणी के।

बहुत से परिवारों में पति-पत्नी अपने आप में बहुत सी बातों को छिपाए रहते हैं, वे एक दूसरे से इसलिए नहीं बाँटते ताकि उनका जीवन साथी उन बातों के लिए उन्हें तुच्छ न जाने। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों के प्रगट किए जाने के समय स्वीकृति या सम्मान चाहता है। हँसी उड़ाए जाने के डर से भी व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों से कहने से डरता है।

व्यक्ति जितना पारदर्शक होगा उतना ही अधिक समझा जाएगा। हालांकि सभी पति-पत्नी अपने एक बड़े भाग को आईसबर्ग के समान छिपा कर रखते हैं, किन्तु जैसे-जैसे वैवाहिक जीवन में उन्नति होती है एक दूसरे को अधिक से अधिक जानते जाना चाहिए। यह पति-पत्नी के

'एक होने' का एक दायरा है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक विचार जो मन में आता है, उसे व्यक्त किया ही जाना चाहिये।

पुरुष प्रायः अपने डरों को छिपा लेते हैं, किन्तु स्त्रियां उसे व्यक्त कर देती हैं। स्त्रियाँ अपने डर को अधिक बातें करने द्वारा, क्रोध करने द्वारा या ज़िद्द वाली चुप्पी साधने के द्वारा भी दिखाती हैं।

ऐसा देखा गया है कि स्त्रियाँ व्यक्ति केन्द्रित होती हैं और पुरुष कार्य केन्द्रित। पुरुष अधिकतर बात करने के द्वारा सूचना देना चाहता है। स्त्रियाँ भावना और आवेग को प्रगट करने के लिए बोलती हैं।

बहुत से दम्पत्ति विचार प्रगट करने की आवश्यकता समझते ही नहीं हैं। वे ऐसा कई कारणों से कर सकते हैं।

1. वे सोचते हैं, कि मेरा साथी समझता है / समझती है, इसलिए प्रगट करने की आवश्यकता नहीं है।
2. एक-दूसरे का आमना-साम्हना नहीं करना चाहते।
3. यह सोचते हैं कि मेरे ऐसा कहने से मेरे साथी को चोट पहुँचेगी।
4. व्यस्तता के कारण

विचारों का मात्र प्रगट किया जाना सारी समस्याएँ सुलझा नहीं देता है, इसके साथ ही जीवन में आवश्यक बदलाव या निर्णय लिए जाने की भी आवश्यकता है।

अध्याय – 9

क्रोध

मोहन और रेखा का विवाह हुए एक माह ही बीता था। एक सड़क दुर्घटना में रेखा की मृत्यु हो गयी। मोहन बच तो गया लेकिन उसका घुटना चूर चूर हो गया। दो वर्ष के बाद उसकी मुलाकात सुशीला से हुयी जो अस्पताल में नर्स का कार्य करती थी। कुछ समय पश्चात् उन दोनों का विवाह हो गया। सुशीला की शिकायत यह थी, कि आपस में उनके वह निकटता नहीं है जो होनी चाहिए। जब कभी वह उससे ऐसी किसी बात के विषय में कहना चाहती थी, जिससे उसे खीझ होती थी, वह साम्हना नहीं करना चाहता था। सुशीला का कहना था, कि चाहे मैं जितना प्रयत्न करूँ, ऐसा लगता है कि आपस में हमारे एक बड़ी दूरी है। यह एक बड़ी बर्फ की दीवार के समान है, जिसका किया क्या जाए, समझ में नहीं आता।

दीपा और राकेश के दो बेटे हैं जिन्हें उन्होंने बड़े प्यार से पाला है। वे अब आठवीं और दसवीं कक्षा में हैं। अपने बच्चों से उन्हें बड़ी आशाएँ थीं। किन्तु बड़ा बेटा जिसका नाम अश्विन है, अब पढ़ाई में रूचि नहीं लेता है। वे प्रेम से और कुछ लालच देकर भी, रूचि उत्पन्न करने की कोशिश करते रहे हैं, किन्तु सब कुछ व्यर्थ हुआ।

सुबह के पांच बजे थे। अपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर मीरा पांचवी बार उस रात जाग उठी थी। वह बहुत थकी हुयी थी। वह एक मीठी नींद की कल्पना कर रही थी। किन्तु यह तो एक सपना मात्र रह

गया। उसका पति रात की ड्यूटी पर गया हुआ था और वह अकेली थी। चिड़चिड़ाहट से भरकर उसने अपने आप से पूछा, यह सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है ? काफी पुचकारने और प्यार करने के बावजूद उसकी बेटी की पेट की तकलीफ शायद कम नहीं हो रही थी। मीरा से अब और रहा नहीं गया। ''एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह से मेरी रातों की नींद खराब करने का तुझे कोई अधिकार नहीं है, चुप हो जा'', वह चिल्लाकर बोली।

सुशीला, दीपा, राकेश और मीरा की एक सामान्य समस्या है। वे सभी हम सब से परिचित सबसे भयंकर मनोभाव से संघर्ष कर रहे हैं, जिसे हम *'क्रोध'* कहते हैं। मोहन ने अपने क्रोध को दफना दिया, यह सोचकर कि वह अपने आप समाप्त हो जाएगा। वह शान्त रहने लगा। दीपा के डर और चिन्ता ने उसके रक्तचाप को बढ़ा दिया और राकेश अपनी इस निराशा को भुलाने के लिए तम्बाकू का सेवन करने लगा। मीरा अपनी खीझ को अपने मासूम बच्चे पर प्रगट कर देती है। उपरोक्त सभी में हम एक सामान्य भावना या संवेद, क्रोध को देखते हैं और लोगों के उन अलग तरीकों को भी, जो वे इस सामान्य भावना से निपटने के लिए इस्तेमाल करते हैं।

क्रोध एक माँग है। जब एक पिता की हथौड़ी, पाना और स्क्रू ड्राइवर को बच्चे इस्तेमाल करने के बाद, उसी स्थान पर नहीं रखते हैं, पिता को गुस्सा आता है क्योंकि काम पड़ने पर जब वह वहां जाता है, जहां उसने उन चीज़ों को रखा था, उन वस्तुओं को न पाकर आग बबूला हो जाता है।

माँ अपनी बेटी के लिए एक महंगा, सुन्दर ड्रेस लाती है। बेटी को देने के बाद वह उसके मुख से धन्यवाद सुनना चाहती है। बेटी की प्रतिक्रिया उदासीन होती है। माँ को दुख होता है और क्रोध भी आता है।

क्योंकि क्रोध एक मांग है इसलिए पिता चाहता है कि उसके बच्चे अपनी लापरवाही के लिए क्षमा मांगे। माँ चाहती है कि उसकी बेटी उसके प्रति कृतज्ञता प्रगट करे।

''मैं तुम्हारे इस व्यवहार से क्रोधित हूं'', नन्दा ने अपने पति से कहा।

दामोदर ने तुरन्त अपनी पत्नी नन्दा से कहा, ''मुझे क्षमा करना क्योंकि तुम्हें मेरे इस व्यवहार से चोट लगी, आगे से मैं ध्यान रखूंगा।''

देखा आपने... किसी भी प्रकार के सम्बन्ध में दिल दुखने पर अपनी नाराज़गी प्रगट करना और दूसरे पक्ष का अपनी गलती मान लेना, आपसी तनाव और टकराव को कम करने का उचित और मान्य तरीका हो सकता है। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करोः जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो।* पौलुस की शिक्षा : 'एक दूसरे की सह लो'; हमें एक दूसरे से सिद्धता (बिना त्रुटि का जीवन) की अपेक्षा से दूर रख सकती है। यह समझ रखना कि मनुष्य से गलती होती ही है, हमें अपने क्रोध को रोकने में सहायक हो सकती है।

बाईबल क्रोध की सत्यता को पहचानते हुए उसे प्रगट करने की आवश्यकता पर ज़ोर डालती है। ''क्रोध तो करो, किन्तु पाप मत करो''*[1] इस बात का आवाहन है कि हम अपनी खिसयाहट, चिड़चिड़ाहट और आक्रोश की भावनाओं को जो न्यायोचित हैं, शालीनता से प्रगट करें। ऐसा करने से हम दूसरों को यह संकेत देते हैं, कि क्या मान्य है, क्या नहीं, क्या लाभकारी है और क्या नहीं।

---

* कुलु. 3:12

*[1] इफि 4:26

अध्याय – 10

आर्थिक सूझ-बूझ

सन्तोष ने शहर में एक कलीसिया स्थापित की। उसकी कलीसिया के अधिकांश लोग गरीब घराने के थे। वे उसको उचित पारिश्रमिक या इतना दान भी नहीं दे सकते थे, कि उसकी आवश्यकताएँ पूरी हो सकें। उसने सोचा कि यदि मैं ऐसी लड़की से विवाह करूँ जिसके पास अच्छी नौकरी है, घर है, तो मेरी सेवा में काफी सहायता मिल जाएगी।

सन्तोष का विवाह धूमधाम से मीरा के साथ हो गया। दोनों के ही तमाम सपने थे। आपसी विचारों में मतभेद होने लगा। सन्तोष उसे चुप कराने और वश में करने के लिए पीटने भी लगा। मीरा का कहना था कि सन्तोष कमाता धमाता तो है नहीं, उड़ाने खाने में काफी आगे है। मीरा ने उसके चरित्र के बारे में भी प्रश्न उठाया।

बहुत लोगों ने इस दम्पत्ति की समस्याओं को सुलझाने के लिए सुझाव दिए। कुछ असर न हुआ। कई वर्ष बीत गए हैं, आज भी तमाम समस्याएँ हैं। किसी भी परिवार में विचारों में टकराव और मतभेद एक आम बात है। किन्तु मीरा की आय सन्तोष की कमाई से चार पांच गुना अधिक होने के कारण मीरा अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है। यह रवैया परिवार में पति को वह स्थान नहीं देता, जो परमेश्वर ने उसे दिया है। चाहे पत्नी कमाए या न कमाए, अधिक या कम कमाए, पति-पत्नी को परमेश्वर द्वारा जो दिया गया पद है, वह उन्हें मिलना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए, कि पत्नी को धन इस्तेमाल करने की

स्वतंत्रता नहीं है। किन्तु इसका अर्थ यह है, कि विवाह के पश्चात किसी भी पक्ष को यह ज़ोर डालना कि यह मेरी आय है, स्वस्थ नहीं है।

परमेश्वर के एक सेवक से मेरी बातचीत में मुझे यह मालूम पड़ा कि आज परिवार जिस बड़ी चुनौती का साम्हना कर रहे हैं, वह है आर्थिक। इसीलिए आर्थिक विषय से सम्बधित पति-पत्नी के बीच के आपसी झगड़े देखे जाते हैं। इसमें कोई सन्देह भी नहीं, कि आर्थिक दायरा और आपसी सम्बन्ध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

पति–पत्नी को एक साथ मिल कर आर्थिक योजना बनानी चाहिए। यदि वे ऐसा करने में कठिनाई पाते हैं, तो परामर्शदाता या पासबान की सहायता लेने में क्या आपत्ति ? धन के विषय में दोनों ही ने वचन की शिक्षा का एक पैमाना बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें उनकी भलाई है।

एक व्यक्ति जितना चाहे, धन कमा सकता है, बशर्ते वह परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे, पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को पूरा करे, रचनात्मक रीति से कार्य करे, ईमानदारी से लेन देन करे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे और लोभ से बचा रहे। ध्यान रहे...

1. कार्य की अधिकता की वजह से आराधना और सेवा में बाधा न आए। मत्ती 6:33
2. पारिवारिक उत्तरदायित्व को पूरा किया जाए। 1 तीमुथि. 5:8
3. इस प्रकार के व्यवसाय या कार्य से धन कमाया जाए। जो लोगों के स्वास्थ्य आदि के लिए हानिकारक नहीं है। नीति 15:6
4. धन ईमानदारी से कमाया और बचाया जाए
   क. कर अदा करें नीति. 12:22, रोमियों 12:7
   ख. धोखा न दें नीति. 11:1; 31:6
   ग. रिश्वत से बचें नीति. 19:23, निर्ग. 23:8
   घ. कम मजदूरी न दें नीति. 22:16

प्राथमिकताओं के क्रम में हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

1. पारिवारिक आवश्यकताएं ।
2. सुसमाचार के कार्य के लिए ।
3. किसी पारिवारिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जैसे बच्चों की शिक्षा या घर बनाने के लिए जमा करना।
4. आवश्यकताओं में पड़े लोगों के लिए।
5. अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, बजट बनाकर खर्च करना आर्थिक सूझ-बूझ का एक हिस्सा है।

हमारी आय का दसवाँ भाग न्यूनतम है जो हमारी कलीसिया में (जहाँ हमारा आत्मिक पोषण होता है) जाना चाहिए। उसके बाद किराया, बिजली, किराना, रोज़मर्रा के खर्चे, स्कूल कालेज (शिक्षा सम्बन्धी खर्च) और न्यूनतम 10 प्रतिशत बचाना हितकर है। व्यक्तिगत और पारिवारिक साज सज्जा और वस्त्र आदि का स्थान अन्त में है।

वर्तमान समय में ॠृण आसानी से मिलने के कारण परीक्षा यह होती है, कि हम अपनी शान शौकत और 'हम भी कुछ हैं' प्रवृत्ति के कारण, इसमें फँस जाएँ। प्राथमिकताओं की सूची में अपनी कुछ इच्छाओं की पूर्ति का स्थान अन्त में है। कर्ज़ लेकर इन इच्छाओं की पूर्ति करने से क्या आज बहुत से लोग ऋण के बोझ से दब नहीं गए हैं ? कर्ज़ यदि लिया भी जाए तो महत्वपूर्ण और विशेष कार्य के लिए लेना चाहिए और वह भी न्यूनतम।

अध्याय – 11

मध्य आयु समस्या

बढ़ती हुयी उम्र के सम्बन्ध में अधिकांश लोग तैयार नहीं होते हैं : कुछ दम्पत्ति विवाह के लिए तैयार होते हैं। उससे कम लोग अभिभावक से सम्बन्धित तैयारी रखते हैं और बहुत कम लोग मध्य आयु के लिए तैयार होते हैं।

– लिविंग ऐट हाई नून
गॉर्डन मैकडॉनल्ड

महिमा से मेरी मुलाकात एक दिन किसी की मृत्यु के बाद उसे श्रद्धांजलि देने के समय हुयी। महिमा और सुन्दर एक सफल पासबान समझे जाते हैं। उनके प्रेम, सेवा और समर्पण के कारण बहुत से लोग यीशु पर विश्वास कर परमेश्वर की सन्तान बनते जा रहे हैं। महिमा ने उस दिन मुझसे कहा, ''भइया, इनको (सुन्दर को) आजकल बहुत क्रोध आता है।''

क्रोध तो सभी को आता है। कुछ लोग प्रगट करते हैं और कुछ लोग उसे किसी तरह से दबा देते हैं या भुला देना चाहते हैं। मध्य आयु के समय के क्रोध के कई एक कारण हो सकते हैं, जिन्हें पत्नियाँ नहीं समझती हैं। पति स्वयं इस बात से अनजान रहते हैं, कि उनकी भावनाओं में एक उतार चढ़ाव आने वाला है। इसलिए वे उसके लिए तैयार भी नहीं होते हैं।

मध्य आयु से हमारा अर्थ है 35 वर्ष से लगभग 55 वर्ष तक की अवधि। सामान्यतः 25 से 30 वर्ष के बीच पुरुष का विवाह होता है। 35 से 40 वर्ष की अवधि में उसके बच्चे किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं। बच्चों के किशोरावस्था में अनुशासन, पिता की अनुपस्थिति, उनके बढ़ते खर्चे, पिता पर एक बड़ा बोझ ले आते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति अपने जीवन का मूल्यांकन करने लग जाता है, कि उसका जीवन कितना फलवन्त रहा है। अन्ततः यह समझ उसे निकट भविष्य में आने वाले बुढ़ापे और मृत्यु के प्रति भी सजग करती है।

घर में माता-पिता के चारों ओर घूमने वाले बच्चे किशोरावस्था में, अपने मित्रों, विज्ञापन आदि से प्रभावित होकर एक अलग जीवन-शैली अपनाना चाहते हैं। उनकी इच्छा, माँग और माता-पिता की इच्छा एवं उनकी अपेक्षा में टकराव होने लगता है।

बच्चों के बढ़ते खर्चों के कारण, पिता का अधिक कार्य करना और साथ ही परिवार के सदस्यों द्वारा पति और पिता से अधिक समय की अपेक्षा करना और स्वयं उसके पास व्यक्तिगत समय न होना, दबाव के अलावा और क्या ला सकता है ?

इस अवधि में पुरुष अपने जीवन का मूल्यांकन करने लगता है। कभी-कभी अपने चुने हुए करियर से घृणा भी।

घटती शारीरिक ताकत और पकने वाले बाल मनोबल कम करने लगते हैं। हमारे संसार में नवजवानी और सुन्दरता को अधिक महत्व दिया जाता है। बढ़ती उम्र और बुढ़ापे को लोग कमज़ोरी समझते हैं। आत्मनिर्भर व्यक्ति दूसरों पर निर्भरता से अधिक बेहतर मर जाना समझता है। वृद्धावस्था श्राप नहीं, आशीष है। यह हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है।

मध्य आयु के समय में पत्नी के मासिक धर्म रुकने से सम्बन्धित समस्याओं के कारण या कुछ कारणों (निजी स्थान की कमी) से एक साथ समय न बिता सकने के कारण या पति की यौन आवश्यकता पूरा न होने के कारण उलझन उत्पन्न हो सकती है। गॉर्डन मैकडॉनल्ड अपनी पुस्तक में मासिक धर्म के रुकने के समय आने वाली पति-पत्नी

के मध्य दूरी और पति के सामने विवाह के बाहर यौन सम्बन्ध परीक्षा में गिरने के विषय में प्रकाश डालते हैं।*

यदि महिमा और सुन्दर के बीच तनाव और सुन्दर का छोटी-छोटी सी बातों पर क्रोधित हो जाना, मध्य आयु की इन उथल-पुथल के कारण भी था, तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। हमने पति में होनेवाली उथल-पुथल की बात तो की है, लेकिन पत्नी में स्त्री धर्म के रुकने के कारण आने वाली निराशा, अचानक गर्मी महसूस होना, थकान आदि पर विचार करना भी आवश्यक है। पुरुष की इस विषय में अज्ञानता मध्य आयु में पति और पत्नी के बीच मनमुटाव, झगड़े और तलाक ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर सकती है।

पति पत्नी को पहले से यदि मालूम है कि ऐसी स्थिति आएगी, जब पत्नी की यह विवशता होगी कि वह पति की यौन आवश्यकता को पूरा करने में *रूचि नहीं* *[1] लेगी, तब वे दोनों क्या करेंगे। बहुत से पति-पत्नी वर्षो इन बातों में संघर्ष इसलिए करते रहें हैं, क्योंकि उनका घमण्ड उन्हें किसी विश्वसनीय पासबान या परामर्शदाता तक जाने में एक रुकावट बना रहा।

---

* पृष्ठ 81–82 लिविंग ऐट हाई नून

*[1] गर्भाशय निकाल दिए जाने के पश्चात शरीर में आने वाले परिवर्तन के कारण भी ऐसा हो सकता है : पृष्ठ 54 ''वीक'' 12 सितम्बर 2004। इस विषय पर ओ.एम. द्वारा प्रकाशित ब्रूस और कैरल ब्रिट्टन की पुस्तक ''आपके विवाह के सम्बन्ध में प्रश्न'' पढ़ें

अध्याय – 12

तलाक : समस्या का मात्र हल नहीं

बाईबल में एक-पत्नी विवाह का प्रावधान है। हाँ, किसी एक की मृत्यु से दूसरा व्यक्ति स्वतंत्र है दूसरा विवाह करने के लिए।* बाईबल तलाक को प्रोत्साहन नहीं देती है, क्योंकि विवाह एक अटूट बन्धन समझा जाता है।

मैंने बहुत से लोगों को तलाक देते देखा है। उन तलाकों को बचाया जा सकता था, किन्तु वहां पति या पत्नी ने अपने आपसी सम्बन्धों से अधिक अपनी इच्छा को मनवाने या पूरा करने पर अधिक ज़ोर दिया।

एक परिवार में लड़की के माता-पिता ने मुझसे कहा, ''क्योंकि उनकी लड़की का विवाह परमेश्वर की इच्छा में नहीं था, इसलिए उसे तोड़ा जा सकता है।'' वह लड़की भी इसके लिए राज़ी थी।

दूसरी ओर राजेन्द्र के माता-पिता का कहना है, कि राजेन्द्र को अपनी पत्नी को इसलिए तलाक देना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी और उसके माता-पिता ने यह बात छिपा रखी थी, कि वह कभी भी माँ नहीं बन सकती। राजेन्द्र कहता है, कि मैंने मण्डली में परमेश्वर और लोगों के साम्हने यह वचन दिया था, कि केवल मृत्यु ही हमें अलग कर सकती है। इसलिए वह अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे जीवन भर निःसंतान रहना पड़े।

---

* 1 कुरि. 7:39

तलाक के सम्बन्ध में यहूदी व्यवस्था क्या थी, यीशु ने क्या सिखाया, इसे ठीक से न समझने के कारण बहुत भ्रम है। मेरा एक मित्र, जिसकी पत्नी ने उसे तलाक देकर दूसरा विवाह कर लिया, अभी भी यह समझता है, कि उसका पुनः विवाह करना ठीक नहीं और उसकी पत्नी जिसने उसे तलाक देकर दूसरा विवाह किया है, वह यदि उसके पास वापस आए, तो वह उसे स्वीकार करेगा। महान विचार और विशाल हृदय। किन्तु वचन में त्याग पत्र जैसे दस्तावेज़ का प्रावधान इसलिए था, ताकि दोनों के लिए, मात्र पत्नी के लिए ही नहीं, वापस लौटने के द्वार बन्द हो जाएं या यदि पत्नी ने किसी पुरुष से विवाह कर लिया हो तो उसका पहला पति ज़बरदस्ती उसे अपने पास न ला सके।

प्रभु यीशु के समय में लोग यहूदी और गैर यहूदी दोनों ही छोटी छोटी बातों पर तलाक दिया करते थे। जिसके कारण समाज में बच्चों की देखरेख की समस्या के साथ और कई समस्याएं भी खड़ी हो रही थीं। इससे उदारवादी और स्वच्छन्दकारी समाज में विवाह सम्बन्ध को बनाए रखने के लिए इस पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक था। जब इस सन्दर्भ में वचन की दी गयी शिक्षा को सही-सही न समझने के कारण लोग अपनी प्रत्येक परिस्थिति मे लागू करने की कोशिश करते हैं, तब वे कानूनवादी बनने के साथ-साथ अपने प्रति या दूसरों के प्रति क्रूर भी बन जाते हैं।

मेरे अपने विचार ये हैं कि, यदि पति-पत्नी अपने अधिकारों के लिए लड़ना बन्द कर दें तो किसी भी विवाह को तलाक से बचाया जा सकता है। हाँ, व्यभिचार को छोड़कर प्रत्येक दूसरी कमज़ोरी को सहने की तैयारी आवश्यक है। प्रतिमा का विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ था जो उसको मारने पीटने के साथ ही दूसरी स्त्रियों के साथ भी अनैतिक रिश्तों में बना रहा। पत्नी ने तंग आकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इसी बीच उसने उद्धार प्राप्त कर लिया। उसने अपने दोनों छोटी बेटियों को छात्रावास में डाल दिया और अपना खर्च उठाने के लिए किसी के घर में कार्य करने लगी। आज वह वर्षो से इस प्रतीक्षा में है, कि उसका पति एक दिन अपनी गलती का एहसास करेगा और अपनी गलतियों को छोड़

देगा। वह उसे तलाक नहीं देना चाहती है, हालाँकि बहुत लोगों ने उससे ऐसा करने के लिए कहा है। महान त्याग और विशाल हृदय।

बहुत वर्ष पहले मेरे एक मित्र की पत्नी उसे छोड़कर अपने घर चली गयी थी। समय बीतता जा रहा था। दोनों ही पक्ष अपनी ज़िद्द पर अड़े हुए थे। जब मैंने लड़की के पास्टर से कहा कि यदि इस विवाह को पुनः जिलाया नहीं जा सकता, तो क्यों न इस विवाह को अच्छी तरह से दफना दिया जाए। पास्टर काफी नाराज़ हो गए, जिसके लिए मुझे बाद में क्षमा भी मांगनी पड़ी।

कुछ एक स्थितियों में तलाक एक छोटी बुराई हो सकती है। एज्रा परमेश्वर के लोगों को उनकी मूर्तिपूजक पत्नियों को तलाक देने का आव्हान करता है एज्रा 10:11। किसी परिवार में एक साथी के विश्वास में आने पर वह अपने मूर्तिपूजक साथी से अलग होने के लिए, पुराने नियम के इस पद का उपयोग नहीं कर सकता, यदि मूर्तिपूजा करने वाला साथी मूर्ति न पूजने वाले के साथ रहने के लिए तैयार है 1 कुरि. 7। किन्तु आज तलाक को समस्याओं के हल के रूप में देखना एक बड़ी बुराई बनती जा रही है।

सन्तोष ने तलाक पाने के लिए दस वर्ष पहले अर्जी दाखिल की, यह सोचकर कि वह पुनःविवाह करेगा, किन्तु तलाक मिलने के दस वर्ष बाद भी आज वह अकेला है। तलाक प्राप्त करने से उसने अपनी हानि ही हानि की। पत्नी पर व्यभिचार का आरोप साबित किया, 2 लाख रूपया मुआवज़ा दिया और सदा के लिए अपने बच्चों को भी अपना शत्रु बना लिया।

मैं यह कहना चाह रहा हूं कि तलाक को बचाया जा सकता है, किन्तु जहां पति-पत्नी की ज़िद्द के कारण परिवार के टूटने की संभावना बनी रहती है, वहां अलग रहना ही ठीक है। ऐसा करने से दोनों को ही अवसर मिलता है, कि बिना किसी पूर्वधारणा और संदेह के स्थिति का अध्ययन ठीक से कर सकें।

शान्ति और प्रेम के तीन बच्चे थे। प्रेम अपनी पत्नी के साथ साथ साली के साथ भी शारीरिक सम्बन्ध रखने लगा। ऐसे समय में हमने शान्ति को यही सलाह दी, कि वह प्रेम को अपने जीवन से अलग कर

दे। तलाक की सलाह ऐसी परिस्थिति में बहुत विनाशकारी हो सकती थी। लगभग दस वर्ष बाद प्रेम ने अपनी गलती पहचानी और क्षमा माँगकर वापस शान्ति के साथ रहने आ गया। इन आठ वर्षो तक शान्ति को जो पारिवारिक भार अकेला उठाना पड़ा, वह बहुत था।

कुछ परिवार प्रशंसा के पात्र हैं। लगभग 25 वर्ष पहले मेरे मित्र का विवाह सविता से हुआ। उनमें से किसी एक की शारीरिक कमी के कारण वे निःसंतान रहे, लेकिन वे आज तक एक-दूसरे से गहरा प्रेम रखते हैं। वहीं अनीता ने अपने विवाह के कुछ समय बाद अपने पति के नपुंसक होने के कारण शीघ्र तलाक ले लिया और दूसरा विवाह भी कर लिया। पति पत्नी में समस्याएं होने के कारण कुछ समय अलग रहने से समस्याओं और उनके कारण को स्पष्ट रीति से देखा जा सकता है। इसी बीच प्रार्थना, परामर्श और स्वयं के जीवन का परीक्षण भी किया जा सकता है। तलाक समस्याओं का एक आसान उपचार नहीं है। परमेश्वर कहता है... मैं तलाक से घृणा करता हूँ।* *एज्रा की यहूदी लोगों को यह सलाह कि वे मूर्तिपूजक स्त्रियों को त्याग दें और अब्राहम को परमेश्वर की यह आज्ञा, कि वह हाज़िरा को घर से निकाल दे, तलाक के लिए मजबूत दलीले नहीं हैं।*

प्रतिमा, जिसके बारे में मैंने बताया, उसका पति, उसके कहने के अनुसार मृतक आत्मा से सम्भोग करता है, व्यभिचारी है, बहुत शराब पीता है और उसे मारता भी है। लगभग आठ वर्ष से वह उससे अलग रह रही है। सभी ने उसे वापस उसके पास लौटने से मना किया है। वह स्वयं भी उसके पास जाने से डरती है। वह उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब उसके पति का परिवर्तन हो जाएगा और वह वापस उसके साथ रह सकेगी। परमेश्वर करे कि उसके पति का परिवर्तन हो जाए और वह वापस उसके साथ रह सके। महान त्याग और विशाल हृदय। प्रतिमा अभी 30 वर्ष की है, उसे और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ? क्या उसका पति बदल जाएगा ? यदि ऐसा न हुआ, तो प्रतिमा दस वर्ष बाद क्या तलाक ले ? और अकेली रहे ? या तलाक ले और पुनर्निवाह करे ? इन

---

* मलाकी 2:16

सभी प्रश्नों का आसान उत्तर तो नहीं है ? प्रार्थना, उपवास, परामर्श के आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता है।

* बाईबल हमें यह नहीं सिखाती कि व्यभिचार की स्थिति में निर्दोष व्यक्ति ने दोषी व्यक्ति को तलाक देना ही है। पुराने समय में यहूदी संस्कृति में व्यभिचारी व्यक्ति को पत्थरवाह किया जाता था। यीशु ने ऐसी समस्या में तलाक पत्र के प्रावधान का अनुमोदन किया। यदि दोषी व्यक्ति अपने इस कार्य (व्यभिचार) को छोड़ कर विश्वास योग्यता से रहना चाहे, तो निर्दोष व्यक्ति ने उसे ग्रहण करना चाहिए, यह हमें अनैतिकता के कारण होने वाले तलाक का एक पर्याय सूझता है।

बाईबल हमें यह भी नहीं सिखाती कि एक व्यक्ति, अपने वैवाहिक सम्बन्ध में निरन्तर अविश्वासयोग्य रहे और दूसरा जो निर्दोष है,उसे क्षमा कर उस पाप में लगे रहने में प्रोत्साहन दे। यह न दीनता को प्रगट करता है और न ही प्रेम को। निर्दोष व्यक्ति का सच्चा प्रेम उसके ऐसे कदम को लेने में दिखेगा, जिसके द्वारा वह ऐसे कार्य को रोकने में सहायक हो। परामर्श देने वालों की यह सलाह, कि निर्दोष व्यक्ति सहता रहे और परमेश्वर से प्रार्थना करे कि वह कुछ करे, और वह दोषी व्यक्ति को परिवर्तित करे, निर्दोष व्यक्ति पर अत्याचार है।

इसी सिद्धान्त पर हमनें शान्ति को यह सलाह दी थी, कि जब तक उसका पति शान्ति की बहन से यौन सम्बन्ध रखता है, तब तक उसके पति का उससे यौन सम्बन्ध का और घर में साथ रहने का अधिकार नहीं है। यदि स्त्री आर्थिक रीति से मजबूत नहीं है तब उसे ऐसा निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। क्योंकि शान्ति स्वयं प्रति माह लगभग 15 हजार रुपए कमा रही थी, इसलिए ऐसा करने में उसे अधिक कठिनाई का साम्हना नहीं करना पड़ा।

यदि शान्ति ने अपने पति प्रेम को उसके अनैतिक जीवन के कारण तलाक भी दिया होता, तो यह बाईबल की शिक्षा के अनुरूप ही होता।

---

* देखें : मत्ती 19:3–9, मत्ती 5:32, मरकुस 10:12, 1 कुरि. 7:10–16, रोमि. 7:1–3

अध्याय – 13

तलाक ~ इसे बचाया जा सकता है

प्रिया और रमेश को विवाह किए कुछ ही दिन हुए थे, आपस में तनाव दिखने लगा। प्रिया को मालूम था कि रमेश तम्बाकू और शराब का सेवन कभी-कभी करता है। प्रिया कलीसिया की सेवा में काफी सरगर्मी से सक्रिय रहा करती थी। विवाह के बाद उसने अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान न दिया। प्रार्थना सभा में जाना, रात में देर से घर लौटना, माँ के घर बार-बार जाना जारी रहा। एक लड़की ने जो बार-बार अपनी माँ के घर जाती रहती है, छोड़ने-जुड़ने* के सिद्धान्त को नहीं सीखा है। इसी प्रकार उस लड़के ने जो अपने माता-पिता के इशारों पर नाचता है, अब तक छोड़ने-जुड़ने के सिद्धान्त को नहीं अपनाया है। ऐसे परिवार में अशांति रहेगी ही।

रमेश पर यह आरोप लगाया गया कि वह अपनी पत्नी को मारता है। कई एक लोगों ने समस्या को अपनी तरह से सुलझाने का प्रयत्न किया, सबके प्रयास निष्फल ही हुए । मामला लड़की ने अदालत में घसीटा और उसका अन्त तलाक में हुआ।

इस प्रकार की घटनाएँ आज आए दिन हो रही हैं। इसका प्रमुख कारण है, विवाह से पहले विवाह और परिवार के विषय में जानकारी न रखना और यह भी कि आपसी मतभेदों के उठने पर क्या किया जाए। विवाह के बाद यह कहना कि यह ईश्वर की इच्छा नहीं थी इसलिए इसे तोड़ा जाना चाहिए, तर्कसंगत बात नहीं है।

---

* अध्याय 6 देखें

पत्नियों की यह इच्छा कि पुरुष को अपनी मुट्ठी में रखा जाए*, घातक और शैतानी है। बहुत सी पत्नियाँ जो अपने आपको आत्मिक समझती हैं, अपने इस कौशल्य पर घमण्ड करती हैं।

सीमा देखने में बहुत भोली भाली लगती थी। नवजवानों के एक दल में जो बाईबल अध्ययन किया करते थे, उसकी मुलाकात किशोर से हुयी। दोनों में आपसी लगाव बढ़ता गया। सीमा माँ बाप की एकलौती लड़की थी। माँ बाप का उससे और उसका माँ बाप से लगाव स्वाभाविक था। सीमा को न मालूम क्या जल्दी पड़ी थी। उसने न ही अपनी शिक्षा समाप्त की थी, न ही अपने पैरों पर खड़ी हुयी और विवाह कर लिया। सभी वे लोग जो किशोर और सीमा को जानते थे, दोनों से कहते रहे, कि वे संयम रखें और अभी विवाह न करें। दोनों ही अपनी ज़िद्द में अड़ गए कि यह ईश्वर की इच्छा है कि उन्हें विवाह करना ही चाहिए।

जब मुझे इस परिवार के परामर्श के लिए बुलाया गया, सीमा के माता–पिता ने एक ही ज़िद्द लगा रखी थी, कि हमें तलाक चाहिए। हमारी बेटी इस लड़के के घर में कभी प्रसन्न नहीं रहेगी।

दोनों पक्षों को सुनने से लगा कि सीमा, किशोर से बहुत अधिक अपेक्षाएं रखती थी और उसकी अपेक्षाएं एक के बाद दूसरी पूरी नहीं हुयी। उदाहरण के लिए, सीमा जब गर्भवती थी और उसे तकलीफ रहा करती थी, तब किशोर ने उस पर ध्यान न दिया। वह अपने मित्रों के साथ बाहर बरामदे में बैठ कर ठहाके मार मार कर हंसता था, उनके साथ बातचीत में घण्टों बिता दिया करता था।

सीमा की माँ ने मुझे बताया कि किशोर दूसरों के घरों में जाकर काफी समय व्यतीत कर दिया करता था। किशोर मसीही सेवा में था, उसके लिए परिवार में भेट देना, परामर्श देना, बाईबल अध्ययन कराना एक स्वाभाविक और दिनचर्या का एक भाग था। न ही किशोर यह समझ पाया कि विवाह के बाद उसकी प्राथमिकताओं में परिवर्तन आना चाहिए, और न ही सीमा यह समझ पायी, कि उसने एक ऐसे व्यक्ति से विवाह

---

* उत्पत्ति 3:16 देखें : यह स्थिति परमेश्वर की आज्ञाकारिता के विरोध में जाने से उत्पन्न हुयी थी।

किया है जिसका समय मसीही सेवा में होने के कारण दूसरों के साथ बिताया जाना आवश्यक है।

नवजवान मां बाप और दोनों ओर के बुज़ुर्गों के इन झगड़ों में सबसे अधिक हानि सहने वाला उसका नन्हा-मुन्हा बालक था।

यह सब 15-20 साल की दुखद कहानी है। बीच में जब सीमा और किशोर अलग रह रहे थे, किशोर का लगाव उसके ऑफिस में कार्य करने वाली एक महिला से हो गया। प्रायः पीड़ित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति दिखाने से सम्बन्ध और अधिक गहरे हो जाते हैं।

पति अपने ऐसे कदम के लिए ज़िम्मेदार है, किन्तु बहुत बार ऐसी स्थिति के लिए पत्नी भी जिम्मेदार है। सीमा ने मुझे बताया कि जब उसे मालूम पड़ा कि उसका पति किसी दूसरी महिला के चक्कर में फँस गया है, तो उसने सोचा कि उसे अपने पति से मेल कर लेना चाहिए। मेल हो जाने के बाद जब मैंने किशोर और सीमा के यहां भेंट दी तो मैंने सीमा के रवैये में एक प्रकार का घमण्ड कि मैं उससे अधिक धर्मी हूं, पाया। वह दिखाना चाह रही थी, कि मैंने उसे दूसरी महिला के चुंगल से छुड़ाने का विचार किया और इसीलिए किशोर से मेल करके उसे पुनः अपना लिया।

परिवार इस तरह से नहीं बनते हैं। अपनी गलतियों का एहसास, उनसे किनारा करना, अपनी ज़िद्द पर न अड़े रहना सही शुरूआत हो सकती है। इन सबके अभाव के कारण यह मेल मिलाप अधिक दिन नहीं चला। कुछ वर्षो में ही फिर यह परिवार टूट गया। अन्तिम समाचार जो मुझे किशोर से मिला वह यह था, कि वह अपनी पत्नी से अलग अपने बेटे को लेकर उसके साथ रह रहा है। पत्नी अकेली है और उसने तलाक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

इस पूरे घटनाक्रम में बहुत सी बातें है जो इस टकराव, अलगाव और तलाक के लिए ज़िम्मेदार हैं, किन्तु एक महत्वपूर्ण बात जो मेरी समझ में आती है, वह यह कि पति-पत्नी ने विवाह को एक वाचा के रूप में कभी नहीं देखा।

अध्याय – 14

व्यभिचार और तलाक

रोशन की पत्नी ऊमा अपने क्रूर पति द्वारा वर्षों से पीसी जा रही है। ऊमा के शारीरिक रीति से दुर्बल होने और उसके स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य करने के कारण घर की और बच्चों की देखभाल के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए आदिवासी क्षेत्र से एक जवान लड़की राखी को उन्होंने घर पर सहायता करने के लिए रख लिया। पत्नी की शारीरिक अस्वस्थता और थका देने वाले कार्य के फलस्वरूप परिवार में उसकी माँ और पत्नी के रूप में भूमिका दिन पर दिन कम होती गयी और राखी जो घर का बोझ उठाने आयी थी, ऊमा के लिए अब एक बोझ बन गयी। क्योंकि अब राखी और उसके पति रोशन का शारीरिक सम्बन्ध होने के कारण घर में अशान्ति और निराशा का माहौल हो गया।

ऊमा से बातचीत करते हुए मैंने उससे पूछा, ''यदि वह स्वयं घर का कार्य भार सम्भाले और अपनी नौकरी छोड़ दे तो ?''

''नहीं, यह सम्भव नहीं है। क्योंकि दिन भर हम दोनों के घर से बाहर रहने के कारण कोई तो घर में चाहिए ही।'' ऊमा ने उत्तर दिया।

''क्यों, ऐसा सम्भव क्यों नहीं है ?' मैंने प्रश्न किया।

''मेरे पति इस निर्णय से सहमत नहीं होंगे,'' उसने उत्तर दिया।

रोशन पत्नी के घर पर बैठ जाने से क्यों सहमत होगा ? क्योंकि ऐसा करने से वह कई हज़ार रुपयों से तो वंचित रहेगा ही, किन्तु साथ ही साथ अपना अय्याशी का जीवन भी गवां देगा।

धन लोलुपता इस परिवार को ऐसे नाश कर रही है, कि क्या बताएं। रोशन ने बड़ी चालाकी से अपने बच्चों को भी अपनी तरफ कर लिया है और वे भी अपनी माँ का आदर नहीं करते हैं। मैं आपको एक मसीही कहलानेवाले परिवार की स्थिति बता रहा हूँ। परिवार में रोशन और ऊमा दोनों ही सदैव दवाईयों का सेवन करते हैं। क्योंकि शायद पारिवारिक पवित्रता, शान्ति और आनन्द न होने के कारण वे सदैव अस्वस्थ रहते हैं।

क्या ऐसे बीमार परिवारों के लिए कोई उपाय है ? जी हाँ, है। पति पत्नी को एक जवान महिला को अपने घर नहीं रखना चाहिए, इसके लिए उन्हें कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, तैयार रहना चाहिए। ऊपर दिये गये उदाहरण में पत्नी का पति के प्रति कड़ा रूख अपनाया जाना और अलग रहने की धमकी देना, उसके डरपोक स्वभाव और असहाय होने के कारण, और पति के हिंसक प्रवृत्ति के होने के कारण एक कठिन बात है। किन्तु ऐसा कदम लेकर वह अपने पति को इस बात के लिए मज़बूर कर सकती है कि पति स्थिति की गंभीरता को समझ कर ऊमा की नौकरी छुड़वा दे, जिससे घर में 24 घण्टे के लिए किसी और नौजवान लड़की आवश्यकता न पड़े। यदि रोशन पत्नी की नौकरी छुड़वाने के पक्ष में नहीं है, तो अधिक उम्र की नौकरानी घर की देखरेख के लिए रखी जाए।

एक पारिवारिक परामर्शदाता का कहना है कि व्यभिचार आनन्द देनेवाला खेल, उन दम्पतियों के लिए है जो अलग रहते हैं, या उन पत्नियों के लिए जो मात्र गृहणी हैं और ऊब जाती हैं।

बढ़ती हुए व्यभिचार की घटनाएँ, तलाक सम्बन्धित अदालतों में कार्य को बढ़ा रही हैं। हरियाणा में एक करोड़ सत्तर लाख की जनसंख्या में 5000 तलाक प्रतिवर्ष होते है।

कलकत्ता में 2002 में जून से अगस्त माह तक 13,037 तलाक के केस अदालत में आए। यह 1999 में पूरे वर्ष में फाइल किए हुए मुकद्दमों से दुगुनी संख्या थी।

कलकत्ता के एक वकील रंजन मुखर्जी का कहना है, कि पुराने प्रेमी का फिर से वापस आ जाना प्रायः तलाक का एक कारण है।

*हेल्प लाइन बंगलोर की ब्रिन्डा अडिगे के अनुसार प्रति वर्ष 10-15% ऐसे परिवारों की बढ़ती हो रही है, जिसमें एक साथी के विवाह से बाहर सम्बन्ध विकसित करने के कारण पति-पत्नी अलग रहने का फैसला कर रहे हैं।

यदि अवैध सम्बन्ध का पारिवारिक तनाव और तलाक से इतना अधिक सम्बन्ध है, तो पति-पत्नी को अपने विवाह को बचाने के लिए क्या करना चाहिए?

बाईबल में 1 कुरिन्थियों 7:2 में लिखा है कि व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। 9 वें पद के अनुसार अविवाहित और विधवा यदि संयम नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें विवाह कर लेना चाहिए।

पति या पत्नी एक दूसरे से अप्रसन्न होने पर यदि वे एक दूसरे की यौन आवश्यकता पूरी न करने के रूप में उन्हें दण्ड देते हैं, तो ऐसा करने से दण्ड देनेवाला अपनी आत्मिक, मानसिक एवं शारीरिक हानि करता है। दण्ड पानेवाला व्यक्ति विवाह के बाहर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ यौन सम्बन्ध स्थापित कर अपनी भूख मिटाने के लिए कदम उठा लेता/लेती है। अतः किसी एक जन के व्यभिचार में गिरने का कारण उसका दूसरा वैवाहिक साथी भी हो सकता है। इसलिए पति पत्नी एक दूसरे की यौन आवश्यकताओं को पूरा करने में न चूकें।

सेना में जाने या दूसरी किसी नौकरी में तबादला होने के कारण पति पत्नी का अलग रहना, उन्हें इस परीक्षा में गिरने के लिए बाध्य कर सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में स्वस्थ मनोरंजन (खेल या किसी और प्रकार की आनन्द देने वाली क्रियाएं, ऐसे प्रलोभन में गिरने से बचा सकती हैं।

---

* पृष्ठ 52, आउटलुक, मई 5, 2003

पुरुष को यह प्रयास करना चाहिए, कि वे किसी घर में उस समय प्रवेश करने से बचें, जब परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित न हों, या विपरीत यौन का मात्र एक ही सदस्य हो।

अपने आँखों को वश में रखें और सब कुछ देखने की पूरी छूट न दें। यीशु की यह शिक्षा कि यदि देखने के द्वारा किसी बुराई में गिर जाने की सम्भावना हो तो अपनी आँखे फोड़ लें,* हमें उन स्थितियों से अपने आप को जानबूझकर अलग करने को कहती है, जहां हमारे फँसने या गिरने की सम्भावना अधिक होती है।

किसी भी तलाकशुदा व्यक्ति या विपरीत यौन के सदस्य से अकेले मिलने के अवसर को न ढूँढें और भावानात्मक सम्बन्ध न बढ़ाएं।

---

* यदि तेरी दाहिनी आँख तुम्हें ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे .... (मत्ती 5:28)

इस अध्याय के सम्बन्ध में नीतिवचन अध्याय 5, 6 और 7 पढ़ें ।

अध्याय – 15

आनन्दित परिवार सम्भव है

परमेश्वर के एक सेवक ने एक आनन्दित (सुखी) परिवार के नौ सिद्धांतों का वर्णन किया है, जिन्हें मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा।

1. बाईबल के आधार पर बतायी गयी भूमिका को पूरा करें। उदा. नीति. 31, इफि. 5
2. आपस में खुल कर विचार विमर्श किया करें।
3. अपने साथी की आधारभूत (जिन्हें पूरा किया जाना ही चाहिए) आवश्यकता को पूरा करें।
4. अपने बजट के अनुसार व्यय करें।
5. आपसी टकराव को सुलझाने के लिए स्पष्ट तरीकों की जानकारी रखें और उन्हें अमल में लाएं।
6. स्वस्थ यौन सम्बन्धों को बनाए रखें।
7. सामान्य शिष्टाचार जैसे धन्यवाद, मुझे क्षमा करें, कृपया आदि शब्दों का प्रयोग करें।
8. मानसिक-भावनात्मक रीति से उन्नति करते जाएं।
9. साथ में प्रतिदिन प्रार्थना करें।

यदि पति-पत्नी मिलकर इन विषयों पर चर्चा कर सकें तो सम्बन्धों को मज़बूत किया जा सकता है। यदि वे परामर्शदाता या पास्टर की सहायता लेना चाहें, तो इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। यह इस बात पर निर्भर है, कि पति-पत्नी अपने परिवार को सुखी बनाने में कितनी

रूचि लेते हैं। किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी समस्या बाँटें, जो आपकी बात को गोपनीय रखकर आपके साथ प्रार्थना में एक हो सके।

जैसा मैंने इसी पुस्तक में कहीं और लिखा है कि एक विद्वान ने लगभग 15,000 लोगों को एक प्रश्नावली दी, जिसके आधार पर निष्कर्ष यह निकला, कि एक स्त्री की पाँच सर्वाधिक महत्व की आवश्यकताएं क्रम से 1. स्नेह 2. बातचीत 3. पति की ईमानदारी 4. आर्थिक सहारा और पारिवारिक समर्पण हैं।

इसी प्रकार से एक पुरुष की पाँच सर्वाधिक महत्व की आवश्यकताएँ 1. यौन सन्तुष्टि 2. स्फूर्ति और शांति का संचार करनेवाली मित्रता 3. एक आकर्षक साथी 4. घरेलू सहयोग और प्रशंसा हैं।

मित्र, क्या आप इन उपरोक्त क्षेत्रों में अपनी भूमिका का मूल्यांकन करेंगे ? यदि हां, तो आज ही से अपनी प्राथमिकताओं में किस प्रकार से परिवर्तन लाएंगे ? आपकी पहल से आपके परिवार में शान्ति, आनन्द और स्वास्थ्य आ सकता है।

अध्याय – 16

कुंजी - आशीषित परिवार की

पूनम और अशोक अपने घर में भयंकर अशान्ति और दबाव में से होकर जा रहे थे। पूनम और उसकी सास में बिलकुल नहीं बन रही थी। उनकी समस्या का समाधान निकालने हम सभी बैठे और समाधान (हालांकि कठिन था) निकल आया। पूछताछ करने पर हमको यह ज्ञात हुआ कि अशोक ने आज 40-45 वर्ष की आयु के होने के बाद भी परिवार को कभी भी आत्मिक मार्गदर्शन नहीं दिया। अशोक के पिता की जीवन-शैली भी वैसी रही थी। जब मैंने अशोक एवं पूनम से आपस में मिलकर प्रार्थना करने के विषय में पूछा, तो उन्होंने कहा, - ''हम लोग अपनी-अपनी प्रार्थना कर लेते हैं।''

समस्याओं के आत्मिक दायरे को समझाना सबके वश की बात नहीं है। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना द्वारा हम परिवार में होने वाली तमाम नकारात्मक बातों को नष्ट कर सकते हैं। किन्तु शायद हमारी उदासीनता, अज्ञानता और व्यस्तता हमें इस अधिकार के उपयोग से अलग रखती है।

सन्तोष ने जो एक इंजिनियर था, अपनी आत्मिक पत्नी के साथ प्रार्थना में एक होने को कभी नहीं जाना था। यह उसकी पत्नी की गलती थी, कि उसने अपने जीवन साथी के रूप में सन्तोष को मात्र इसलिए चुना क्योंकि वह एक इंजिनियर था और एक अच्छा लड़का भी। विवाह से पहले उसको यह जान लेना चाहिए था कि उसका पति घर का, हर प्रकार से नेतृत्व कर सकता है या नहीं। उसे सन्तोष से उसके आत्मिक

समर्पण के विषय में भी जानना चाहिए था। किरन के विवाह के 25 वर्ष बाद जब मेरी मुलाकात उससे हुयी, तो उसने उस व्यक्ति पर दोष लगाया जो इस रिश्ते को लाया था। वर्तमान में किरन और सन्तोष अस्वस्थ रहते हैं। किरन के शब्दों में मुझे शिकायत दिखायी दी। वह अपने पति से खुश नहीं दिखायी पड़ी। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि उन दोनों ने शुद्ध हृदय से क्षमा के साथ प्रार्थना में कभी ठहरना भी नहीं सीखा होगा। एक दूसरे के प्रति शिकायत, पति-पत्नी की प्रार्थनाओं के उत्तर को प्रभावित करती है।*

कहीं-कहीं पति-पत्नी का आपस में प्रार्थना न करना सप्ताह और महीने की बात नहीं, वर्षों की बात है। ये सभी परिवार बाहर से दिखने में समृद्ध, किन्तु भीतर निराशाजनक स्थिति में रह रहे हैं।

परमेश्वर के साथ हमारे व्यक्तिगत समय के अलावा पति-पत्नी का प्रायः अलग समय निकाल कर पिता से निवेदन बिनती करना उनके जीवन के लिए क्यों आवश्यक है ?

बाईबल में सभोपदेशक का लेखक कहता है कि एक से दो भले हैं। यीशु ने भी दो या तीन व्यक्तियों की गयी प्रार्थना की सामर्थ पर ज़ोर डाला था।*[1] हमारी प्रार्थना के जीवन के कई एक आयाम हैं।

हमारी प्रार्थना के जीवन का प्रथम दायरा है : हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना। पति-पत्नी की एकता की प्रार्थना बच्चों के जीवन को एक सही रूप दे सकती है। क्या प्रार्थना करें ? अपने बच्चों के गुणों के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। अपने बच्चों की आवश्यकताओं और नकारात्मक पहलुओं को स्वर्गिक पिता के सामने रखें। उनके प्रशिक्षण और अनुशासन के सम्बन्ध में परमेश्वर पिता हमें बुद्धि और मार्गदर्शन दे, यह प्रार्थना करें। यह भी कि वे अपने चरित्र में मजबूत हों। विचारों और शरीर में पवित्रता को चाहें। समय आने पर भविष्य में जीवकोपार्जन सम्बन्धित और विवाह सम्बंधित सही निर्णय ले सकें। दयालु हों, सेवा भाव हो, अधिकारियों और बड़ों का सम्मान करें। समय, धन आदि स्त्रोतों का उपयोग उचित रीति से करें। अपने जीवन और कार्यों द्वारा परमेश्वर के राज्य (आत्माओं के उद्धार और कलीसिया की उन्नति) के लिए जीएं।

---

* 1 पतरस 3:6, *[1] मत्ती 18:19

प्रार्थना का एक दूसरा दायरा है, रिश्तेदारों, कलीसियाई सदस्यों, संस्थाओं, अपने देश और अन्य देशों के लिए मध्यस्थी। ऐसा किए जाने से परिवार अपनी एक बड़ी भूमिका को निभाता है। प्रार्थना करने वाले परिवार ही प्रार्थना करने वाली कलीसिया बना सकते हैं। विश्वास से प्रार्थना करने वाले परिवार ही प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से अपनी आशीषों के प्रवाह को जारी रख सकते हैं। इतना ही नहीं, हम प्रार्थना में समय व्यतीत करने के द्वारा पिता (परमेश्वर) के साथ सहभागिता करते हैं। हम यीशु के नाम का उपयोग करके अदृश्य दुष्टता की शक्तियों की गतिविधियों को जो हमारे परिवार के विरोध में हैं, निष्क्रिय भी करते हैं।

परिवार

सफलता का रहस्य

पास्टर हैरिस सुरेन्द्र सिंग परिवार से सम्बन्धित शोध और परामर्श में बहुत वर्षों से लगे हुए हैं। यह पुस्तक उनके लम्बे अनुभव, अध्ययन एवं परिश्रम का परिणाम है। बी.डी. करने के पश्चात् उन्होंने 10 वर्षों तक विभिन्न कालेजों में अध्यापन कार्य किया। कई राज्यों के ग्रामीण और शहरी इलाकों में सुसमाचार प्रसार एवं कलीसिया रोपण में उनका योगदान रहा हैं। विभिन्न पुस्तकों के अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद और 'आत्मिक यात्रा' रेडियो कार्यक्रम में अभी भी वे व्यस्त हैं। उनकी पत्नी मीना एक स्कूल में शिक्षिका हैं एवं दो किशोरावस्था के पुत्र हर्षित एवं मोहित हैं।

विषय ''परिवार'' असीमित है इसलिए पति-पत्नी सम्बन्धित बहुत और विचारों को यहां प्रगट करना संभव नहीं हो सका है।

बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुशासन सम्बन्धी पुस्तक, जो कि इस पुस्तक का दूसरा भाग है, प्रतीक्षा करें। वह भी कम मूल्य में शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी।

लेखक की शीघ्र छपने वाली अन्य पुस्तकें ~

* दैत्य की हत्या (डर और चिन्ता से निपटने के उपाय)
* शिखर की ओर (सफलता प्राप्त करने से संबंधित प्रेरणात्मक लेख)

यदि आप परिवार सम्बन्धित किसी विषय पर परामर्श चाहते हैं तो निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें।

पास्टर हैरिस सुरेन्द्र सिंग
321, शीतल बिल्डिंग के पीछे,
न्यू कालोनी, नागपुर - 440 001
फोन : 0712 - 2582845
मोबाइल : 09890416226
e-mail : harris_ngp@sancharnet.in

जिन पुस्तकों की सामग्री इस पुस्तक के लेखन में सहायक हुयी है।

Love must be Tough	~	James Dobson
The Biblical Family	~	V. Paul Marston
Marriage Difficulties	~	Paul Tournier
The Marriage Covenant	~	Derek Prince
Issues Facing Christians Today	~	John Stott
Living At High Noon	~	Gordan Macdonald
Your Questions About Marriage (Hindi)	~	Bruce & Carol Britten

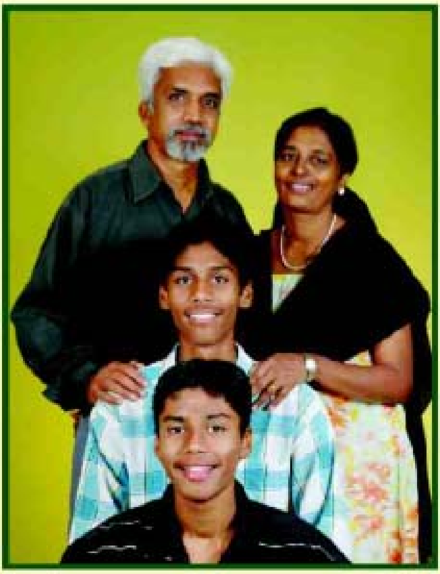

लेखक के विषय में

पास्टर हैरिस सुरेन्द्र सिंग परिवार से सम्बन्धित शोध एवं परामर्श में बहुत वर्षो से लगे हुए हैं । यह पुस्तक उनके लम्बे अनुभव, अध्ययन एवं परिश्रम का परिणाम है। बी. डी. करने के पश्चात् उन्होंने 10 वर्षों तक विभिन्न कालेजों में अध्यापन कार्य किया । कई राज्यों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सुसमाचार एवं कलीसिया रोपण में उनका योगदान रहा है। विभिन्न पुस्तकों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद और 'आत्मिक यात्रा' रेडियो कार्यक्रम में अभी वे व्यस्त हैं। अपनी पत्नी मीना और दो किशोरावस्था के बेटे हर्षित और मोहित के साथ वे नागपुर में रहते हैं।

हन्सराज जैन इस पुस्तक की प्रस्तावना में लिखते हैं : ''यह पुस्तक बाइबल केन्द्रित, संस्कृति के प्रति संवेदनशील और व्यवहारिक है, जो उस पासबान लेखक की विशेषता है, जो लोगों की सुरक्षा और देखभाल के लिए कटिबद्ध है।''.....

.....''इस पुस्तक के अध्ययन के फलस्वरूप, अपने जीवन-साथी के साथ मिलकर आपको सहयोग करने का एक आधार मिलेगा ।''